असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 मार्च, 2024

सप्तदश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 01 मार्च, 2024 ई0
एकादश सत्र — 11 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-38 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा के नवनिर्मित सर्जिकल भवन में सर्जरी एवं आर्थो विभाग के मरीजों का इलाज किया जा रहा है । मदर-चाईल्ड हॉस्पिटल में प्रसूति रोग के मरीजों का इलाज प्रारंभ किया जा चुका है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री संजय सरावगी : पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है । अध्यक्ष महोदय, सामने वाले को बोर्ड लगाने की धरफरी थी, अस्पताल बना नहीं और जाकर बोर्ड जो है तीन महीना पहले लगा दिये । अब जनता वहां भोग रही है, इतना धरफरी, इनलोगों को लगता है पहले पता था.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : कि चल चलंती का बेरिया है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

क्यों पूछेंगे, बोर्ड तो आपलोग लगाये, अस्पताल कंप्लीट नहीं था, अपने नाम के लिये बोर्ड लगा दिये ।

अध्यक्ष : संजय जी, पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूरक पूछना चाहता हूं, इसमें आया कि, यह मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जो सर्जिकल वार्ड है.....

अध्यक्ष : एक मिनट बैठ जाइये संजय जी । माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि वे स्वस्थ और दीर्घायु हों । मुख्यमंत्री जी, मुझे एक शेर याद आ रहा है अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलें । यह तो एक रस्मे जहां है जो अदा होती है जन्मदिन पर बधाई देने की जो रस्म है,

''यह तो एक रस्मे जहां है, जो अदा होती है
वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है ।''

बहुत-बहुत शुभकामना मुख्यमंत्री जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं सदन की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन है, मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि इनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहें लेकिन एक सलाह जरूर देंगे कि गलत लोगों के संगत में न रहें ।

अध्यक्ष : बैठिए । श्री संजय सरावगी, पूरक पूछिए ।

(व्यवधान)

हो गया, एक हो गया । पूरक पूछिए ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और अपना विचार भी रखता हूं । सर्जिकल वार्ड से 15 सौ फीट पर सर्जरी होती है । 15 सौ फीट से ज्यादा पर और वहां से पेसेंट आता है सर्जिकल वार्ड में, यह पूछना चाहता हूं कि डी0एम0सी0एच0 का सर्जिकल वार्ड मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो तीन महीने पहले शिलान्यास हुआ था यह कब से जो है प्रारंभ हो जायेगा जल्द से जल्द यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो तो मैं एक वरीय पदाधिकारी को भेजकर पूरी समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो जाय इसकी चिंता करूंगा ।

श्री संजय सरावगी : जी धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, राजेश जी आप अधिकृत हैं पूछिए ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-39 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) अस्वीकारात्मक । वर्ष-2023-24 के तृतीय तिमाही (अप्रैल, 2023 से दिसंबर 2023) के समाप्ति तक गया, औरंगाबाद, मुंगेर एवं मोतिहारी अंचल में बिजली की क्षति (वितरण क्षति) क्रमशः 28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 26 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत रहा है ।

(2) मानक क्षति (15 प्रतिशत) को ही स्वीकृत कर टेरिफ (बिजली दर) का निर्धारण किया जाता है । अतएव इससे अधिक क्षति होने पर इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता है ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) राज्य में आर0डी0एस0एस0 योजना प्रगति पर है जिसमें मुख्य रूप से आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बिजली क्षति को 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

श्री राजेश कुमार : पूछता हूं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, पूरक है, सरकार का उत्तर है कि बिजली के क्षति को कम करने के लिये 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की गई है फिर भी बिजली की क्षति 26 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी आधारभूत संरचना जैसे तार, पोल और ट्रांसफर्मर को तीन वर्षों में भी क्यों नहीं ठीक किया गया, यह पहला पूरक है अध्यक्ष महोदय । दूसरा पूरक है कि क्या इससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है या नहीं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कार्य में वक्त तो थोड़ा लगता ही है, आर0डी0एस0एस0 प्रोग्राम के तहत स्ट्रैंथनिंग किया जा रहा है पूरे सिस्टम को और ट्रांसमिशन लॉस घाटा भी है । पहली दफे कंपनी प्रॉफिट में भी आई है । 2025 तक हंड्रेड परसेंट इसको ठीक-ठाक कर लिया जायेगा ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, तीसरा पूरक मेरा यह है कि राष्ट्रीय मानक जो है वह 15 परसेंट का है जो क्षति होती है हमारी और सरकार का उत्तर आया है कि 18 और 28

परसेंट की क्षति है तो यह रेवेन्यू का जो लॉस है वह कौन सहन करता है, यह जानना चाहते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अन्य राज्यों में जहां कम क्षति है वहां पहले ही विद्युतीकरण हुआ है, दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन वहां ज्यादा है, अपने यहां जो हैं कंज्यूमर गरीब-गुरबा आदमी, गांव-गंवई के लोग हैं तो स्वाभाविक तौर से वक्त लगेगा थोड़ा उसको ठीक-ठाक करने में लेकिन 2024-25 तक राष्ट्रीय पैमाने पर हमलोग ले आयेंगे ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : जवाब तो हो गया ।

श्री राजेश कुमार : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, यह पूरक नहीं है, पूरक नहीं है मेरा सुझाव है कि जो आधारभूत संरचना आज भी तार-पोल की स्थिति जर्जर है उसको यदि ठीक कराते हैं तो हमारी जो बिजली है निर्बाध रूप से हो और कई एजेंसियों पर हमारा को-ऑर्डिनेशन नहीं है, सरकार को-ऑर्डिनेशन करे, उस पर दबाव दे ताकि हमारी क्षतिपूर्ति, राज्य सरकार को कम हो, यही मेरा सुझाव है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कहां तार जर्जर है, लिखकर भेज दीजिए ।

श्री राजेश कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-40 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, (1) आंशिक स्वीकारात्मक । नये स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अधिष्ठापन के समय सिक्योरिटी डिपोजिट नहीं लिया जाता है । परंतु वैसे उपभोक्ता जिनके पुराने पोस्टपेड मीटर को बदल कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाता है उनके पोस्टपेड मीटर में मौजूद सिक्योरिटी मनी लौटाने का प्रावधान पूर्व से था एवं सिक्योरिटी मनी वापस करने हेतु वितरण कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किया जा चुका है ।

(2) उपभोक्ता पूर्व के पोस्टपेड मीटर सिक्योरिटी मनी को वापस लेने हेतु सुविधा ऐप पर मौजूद सिक्योरिटी डिपोजिट रिफंड के विकल्प का चयन कर एवं अपने खाता संख्या को दर्ज कर अपनी सुविधानुसार एक तिथि का चयन कर सकते हैं । उक्त चयनित तिथि को उपभोक्ता वितरण कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपना ओरिजनल सिक्योरिटी डिपोजिट रसीद दिखाकर खाते में जमा सिक्योरिटी

राशि का समायोजन/अग्रिम भुगतान विद्युत विपत्र में कर सकते हैं । इस प्रक्रिया के तहत सिक्योरिटी मनी का समायोजन विद्युत विपत्र में किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में जो पहले पोस्टपेड मीटर लगते थे तो उसको हटाकर प्रीपेड मीटर लगाया गया तो प्रावधान किया गया था कि जितने भी पोस्टपेड मीटर वाले होंगे उनको प्रति किलोवाट 400 रुपया घरेलू में और 600 रुपया कॉमर्शियल में उसको वापस कर दिया जायेगा लेकिन राज्य में 26 लाख लोग ऐसे हैं जिसका इस राशि का सामंजन नहीं हुआ है, विभाग का जो जवाब है माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि त्रुटिपूर्ण है । इसमें कहा जा रहा है कि आवेदन दीजिए, अप्लाई कीजिए तब जाकर राशि वापस होगी, कार्यालय में जाइये । जब पूरी व्यवस्था जो है.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, उसी पर आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था में आधुनिक ढंग से काम हो रहा है तो इस राशि का सामंजन राज्य में क्यों नहीं हो रहा है । हम उपभोक्ता हैं, हमको 400 रुपया वापस होना है तो मेरे बिल में सामंजन हो जाय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि राज्य के जो 26 लाख उपभोक्ता बचे हुए हैं उनके पुराने पोस्टपेड मीटर का सामंजन कब तक कर पायेंगे, नये बिल में ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसका सिस्टम डेवलप है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसपर कुछ शिकायत है तो शिकायत के लिये भी व्यवस्था की गई है, आवेदन दें, उसको किया जायेगा ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, हमलोग जनता के प्रतिनिधि हैं, सदन में इसीलिए हैं, एक-एक करके आवेदन कहां जायेगा 26 लाख, हम यह कह रहे हैं कि 26 लाख ऐसे लोग हैं जो पोस्टपेड मीटर लगाये थे, नया प्रीपेड मीटर लगा उस राशि का सामंजन होना था उसके लिये आवेदन क्यों देगा, जब बिजली बिल आता है उसमें सामंजन क्यों नहीं हो रहा है राज्य में, हम यह जानना चाहते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 26 लाख लोगों की कोई शिकायत इस तरह की नहीं है । माननीय सदस्य का अगर है तो 5-10 का दे दें, हम उसको दिखवा लेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, यह मेरा कहना नहीं है यह अखबार, समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ जिसे सत्यापित करके हमलोगों ने प्रश्न लाया । महोदय, संरक्षण की जरूरत है । 26 लाख लोग हमको कैसे शिकायत करेंगे । हमारे असेंबली के 10 लोग शिकायत किये अखबार में खबर छपी, मैंने किया । अगर मेरा कहना सही है तो

माननीय मंत्री जी जांच करा लें । इतने वर्ष से माननीय मंत्री जी हैं, पूरे राज्य के बिजली विभाग की दशा को सुधार दिये, अगर मेरा प्रश्न जायज है तो यह संरक्षित करने की जरूरत है । इस मामले में सामंजन करने के लिये हम कह रहे हैं । मेरा 400 रुपया है, 4 किलोवाट का 16 सौ रुपया हुआ तो मेरे बिजली बिल में इसका सामंजन क्यों नहीं हो रहा है, मंत्री जी इसको बताएं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ठीक है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-41 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र संख्या-222, कुटुम्बा (अ0जा0))

श्री राजेश कुमार : सर, 9 बजे तक उत्तर अपलोड नहीं था, ऑनलाइन नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-42 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-27, बाजपट्टी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । सुश्री श्रेयसी सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'A'-394 (सुश्री श्रेयसी सिंह, क्षेत्र संख्या-241, जमुई)

अध्यक्ष : उत्तर मिला है न, पूरक पूछिए ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : जी, उत्तर प्राप्त है । पूरक यह है अध्यक्ष महोदय कि यह जो खंड़ाईच गांव की बात हो रही है इसमें कुल आबादी 4 हजार लोगों से भी ज्यादा की है, मुझे जो उत्तर प्राप्त है उसके खंड-क के कमांक संख्या-4 में जो जवाब दिया गया है, मुख्य सड़क से राशि मोहन के घर तक मध्य विद्यालय तक नाली निर्माण कार्य कंप्लीट है । अध्यक्ष महोदय, यह नाली निर्माण कार्य डेढ़ सौ फीट का हुआ है और इसकी स्थिति वर्तमान में एकदम जर्जर है । साथ ही साथ जो खंड-ख का उत्तर मिला है कि इसमें अनुमति की लागत लगभग 35 लाख है इसलिए इस कार्य को ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पूर्ण कराया जाय । अध्यक्ष महोदय, यह जो नाला निर्माण एवं सड़क का कार्य है यह अति महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र है साथ ही साथ मुख्य सड़क पर जहां पर जहां पर स्कूल और मंदिर सभी चीजें हैं.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग से, इसको ग्रामीण कार्य विभाग से करवाने का काम करेंगे, हां या नहीं, हां तो कब तक ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : इसको पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ।

टर्न-2/अंजली/01.03.2024

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पंचायती राज द्वारा ये कार्य कराया नहीं जा सकता है क्योंकि अनुमति की लागत ज्यादा है, कुल 35 लाख का डी0पी0आर0 तैयार किया गया है, इस वजह से इसको ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा ही कराया जा सकता है ।

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग में भेज दीजिए माननीय मंत्री जी । 35 लाख से ज्यादा है पंचायत से नहीं हो सकता है ऐसा माननीय सदस्या कह रही हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या अलग से ग्रामीण कार्य विभाग से प्रश्न करें ।

अध्यक्ष : ग्रामीण कार्य विभाग को भेज दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लिखकर एक दे दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1387 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के नरार पूर्वी पंचायत के थान टोला में सुरक्षात्मक दृष्टि से लगभग 05 कि0मी0 11 के0वी0 के नंगे जर्जर तारों को बदला जा चुका है ।

दिनांक-03.08.2023 को अचानक 11 के0वी0 लाईन का Insulator Puncture होने के कारण एक फेज तार टूटकर नीचे गिरा जिससे दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिसमें विभागीय नियमानुसार रुपये 4-4 लाख मुआवजा का भुगतान दिनांक-05.08.2023 को मृतक के आश्रितों क्रमशः श्रीमती फुलो देवी एवं श्रीमती सावित्री देवी को किया गया ।

उक्त गाँव में कवर-युक्त बिजली के एल0टी0 तार को कुल 2 कि0मी0 आर0डी0एस0एस0 योजना अन्तर्गत बदलने का कार्य प्रस्तावित है । कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य सितम्बर 2024 है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और प्रथम खंड का उत्तर बड़ा ही सार्थक माननीय मंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन द्वितीय खंड में दो किलोमीटर का आर0डी0एस0एस0 योजना के अंतर्गत बदलने का कार्य प्रस्तावित है । महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सितंबर तक हम करवा देंगे । मेरा अनुरोध इतना ही है माननीय मंत्री जी से कि केवल व्यक्तिगत रुचि लेकर जरा परश्यु कर दीजिए क्योंकि वहां बड़ा हादसा हो गया था, लोग मर गए थे । महोदय, इसलिए सहानुभूति दिखाते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब आप इतना किये हैं तो थोड़ा पर्सनली इंट्रेस्ट लेकर जल्दी करवा दिया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है । आपके कार्य में जरूर रुचि लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1388 (श्री मिथिलेश कुमार, क्षेत्र सं0-28, सीतामढ़ी)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार । उत्तर मिला है आपको ?

श्री मिथिलेश कुमार : उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर मुख्य सचिव के स्तर से माननीय विधायकों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए सुविधानुसार सप्ताह में एक दिन निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है तथा अन्य दिनों में भी सुविधानुसार उससे मुलाकात करने का निर्देश दिया गया है । संसदीय कार्य विभाग के अद्यतन पत्रांक संख्या-197, दिनाक-27.02.2024 द्वारा उपरोक्त के संबंध में पुनः निर्देश जारी किये गये हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, क्या जो निर्देश जारी किये गये हैं, उसके अनुरूप जिलाधिकारी या अन्य पदाधिकारी उसका अनुपालन करेंगे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी, क्योंकि जी0एस0 कंग के समय से कई पत्र जारी हो गये हैं हमने पहले भी

प्रश्न किया था, हमको पत्र भी गया था, परंतु जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक जब तक समय नहीं देंगे, तब तक हम जनप्रतिनिधि हैं जनता के विषयों को कैसे रखेंगे ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, तो क्या सरकार इसका पत्र जारी करके यह सुनिश्चित करेगी, दिन निर्धारित करेगी कि समय मांगने के बाद कितने अवधि के अंदर निश्चित रूप से पदाधिकारी एम0एल0ए0 या एम0पी0 को समय देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि पुनः स्मारित किया गया है सभी जिलाधिकारी को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को, प्रमंडलीय आयुक्त को, पुलिस महानिदेशक को, सभी क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, रेल पुलिस, सभी को एक पत्र के जरिये पुनः स्मारित किया गया है, तो निश्चित रूप से सरकार का जो निर्देश है वह अधिकारी निश्चित रूप से पालन करते हैं और जहां माननीय सदस्य को कहीं से कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : आपका हो गया ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र का माननीय मंत्री जी हवाला दे रहे हैं यह पत्र पूर्व से निर्गत है । ऐसे पदाधिकारी जो पूर्व के पत्र को निर्गत या सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, क्या समीक्षा करके कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं?

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, चूंकि मिथिलेश जी जो हमारे सीतामढ़ी से आते हैं, लगातार ये दूसरी बार प्रश्न किये हैं ।

अध्यक्ष : आपके सीतामढ़ी नहीं है, हम सब का सीतामढ़ी है । बोलिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : हम तो पार्लियामेंट भी लड़े हैं सीतामढ़ी से, इसलिए मेरा हक है । मेरा यह कहना है कि कब तक, जब मान लीजिए कोई पदाधिकारी टाइम नहीं दे रहे हैं, एक-एक महीना पर टाइम नहीं दे रहे हैं, यह दर्द है, यह दर्द समझने की आवश्यकता है, कब तक दर्द दूर करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ ऐसी सूचनाएं माननीय सदस्य की तरफ से मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री उमाकांत सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-1389 (श्री उमाकांत सिंह, क्षेत्र सं0-7, चनपटिया)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के बनकट पुरैना, चुहड़ी एवं महनवा के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लिये आवंटित भूमि उपयुक्त नहीं होने के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । उपर्युक्त भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त नये भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री उमाकांत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चनपटिया विधान सभा में दो प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर 2021 में हो चुका है और 2021 से अभी तक वहां बिल्डिंग नहीं बन सकी और सी0ओ0 के द्वारा बार-बार आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जा रहा है, अब हो जा रहा है और जगह नहीं मिलने के कारण...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं कि अभी तक वहां क्यों नहीं बना ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूरी तरह वाकिफ हैं कि वहां की क्या स्थिति है लेकिन मैं जिलाधिकारी, बेतिया को यह निर्देशित करूंगा कि एक महीने के अंदर जमीन उपलब्ध कराकर वहां काम शुरू कराएं ।

श्री उमाकांत सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामविशुन सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-1390 (श्री राम विशुन सिंह, क्षेत्र सं0-197, जगदीशपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विनय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-1391 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0-225, गुरूआ)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरौंधा, गुरूआ, गया वर्तमान में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में संचालित हैं । उक्त सेन्टर में 02 ए0एन0एम0 यथा श्रीमती रेखा कुमारी एवं श्रीमती

विनीता कुमारी कार्यरत है । साथ ही 01 सी0एच0ओ0 श्रीमती अंजनी कुमारी भी कार्यरत है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरौंधा, गुरूआ, गया में चिकित्सकों के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था कि भरौंधा में अस्पताल का निर्माण किया गया है, वहां अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, लगभग 8 से 10 पंचायत वहां पर लाभान्वित होता है और वहां पर एक भी, न महिला, न पुरुष, कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी या चिकित्सक वहां नहीं हैं, तो कब तक वहां पर चिकित्सक की पदस्थापना होगी, हमारा क्वेश्चन यह था, लेकिन उत्तर में आया कि वहां पर 2 ए0एन0एम0 है और 1 सी0एच0ओ0 है । महोदय, जो ए0एन0एम0 और सी0एच0ओ0 हैं वह अपने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका करने चले जाते हैं, तो हमको लगता है कि सप्ताह में एक-दो दिन खुलता है, स्वास्थ्य का यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आठ-दस पंचायतों के लोग कहां इलाज करायेंगे जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनय कुमार : महोदय, मेरा यही है कि डॉक्टर की पदस्थापना हो, कब तक किया जाएगा, यही हमारी मांग है भरौंधा का ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि यह विचाराधीन है, आगे के दिनों में जल्द से जल्द इसके पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : होगा ।

श्री विनय कुमार : महोदय, लेकिन जल्द से जल्द कह रहे हैं, जितना जल्द हो क्योंकि चिकित्सा की बात है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जल्दी ही कहा है ।

श्री विनय कुमार : समय सीमा बता दिया जाय महोदय ?

अध्यक्ष : जल्द से जल्द तो बता रहे हैं, जल्द ही हो जाएगा । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-1392 (श्री अजय कुमार, क्षेत्र सं0-138, विभूतिपुर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल समस्तीपुर एवं अनुमंडलीय अस्पताल, दलसिंहसराय में आउटसोर्सिंग के माध्यम से टेक्नीशियन की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के द्वारा की गई है ।

अनुमंडलीय अस्पताल रोसड़ा, पूसा व पटोरी में स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर ऑक्सीजन प्लांट को संचालित किया जा रहा है, जिससे अस्पताल में आये मरीजों को लाभ प्राप्त होता है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार : जी, उत्तर मिला हुआ है और उत्तर के जवाब में जो हमको मिला है, हमको माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि सदर अस्पताल समस्तीपुर और दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में टेक्नीशियन के कितने सैंक्शन पद हैं ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से टेक्नीशियन की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया गया है लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है कि वहां पूरे कितने वैंकेंसी हैं, कितना क्रियेट हो सकता है, मैं पूरी लिस्ट इनको उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री अजय कुमार : महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है कि टेक्नीशियन के 2 पद वहां सैंक्शन हैं और 2 पद के जगह पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक-एक पद पर उस पर पोस्टिंग की है, कोई इंसान 24 घंटा में 24 घंटा काम नहीं कर सकता है । समस्तीपुर ऐसे जिला अस्पताल में जहां हर रोज हजारों लोग जाते रहते हैं, अब एक इंसान के भरोसे अगर, एक जिसको नियुक्त किये हैं टेक्नीशियन का, तो उसकी काम करने की एक क्षमता है, आठ घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार : इसलिए हमारा माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं, न सिर्फ समस्तीपुर सदर अस्पताल, दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल बल्कि रोसड़ा, पटोरी, पूसा उन जगहों पर तो एक भी टेक्नीशियन नहीं है तो इन सारे जगहों पर टेक्नीशियन के सभी पदों को कितने दिनों में भर देंगे ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन इसको करना है लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा वहां आउटसोर्सिंग से काम लिये जा रहे हैं । जो भी पद खाली हैं उन सब को भरने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी।

श्री अजय कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री अजय कुमार : यह बहुत संवेदनशील मामला है ।

अध्यक्ष : इसलिए तो ये इस संबंध में जवाब दे रहे हैं ।

श्री अजय कुमार : वह तो ठीक है । यथाशीघ्र का मतलब क्या है ? मैं तो सिर्फ समय चाहता हूं, मुझे समय दे दिया जाय और माननीय मंत्री जी...

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइए ।

श्री अजय कुमार : एक सेकेंड । बस एक शब्द, दूसरी बात मुझे इसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ सवाल है समस्तीपुर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर है और उसमें एक भी टेक्नीशियन नहीं है, नतीजा होता है कि उसके लायक जो पेशेंट होते हैं या तो उसको पटना या फिर उसको दरभंगा भेजा जाता है इसलिए मेरा इसके साथ अनुरोध है...

अध्यक्ष : वेंटिलेटर का आपका प्रश्न नहीं है ।

श्री अजय कुमार : जी सर ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इसलिए यथाशीघ्र कह रहा हूं कि तुरंत चुनाव में जाना है सबको और तुरंत फैसले नहीं हो सकते हैं और प्रत्येक साल, पांच साल में पांचों साल कोई न कोई तीन महीने का चुनाव हमलोग प्रक्रिया करते हैं, यह पूरी व्यवस्था है तो मेरा यही आग्रह है, मैं माननीय सदस्य की चिंता को जरूर चाहता हूं कि जल्द से जल्द निबटारा हो और यथाशीघ्र इसको तुरंत से तुरंत करवाएंगे ।

टर्न-3/आजाद/01.03.2024

तारांकित प्रश्न सं0-1393(श्री उमाकांत सिंह,क्षेत्र सं0-7, चनपटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक । पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में चनपटिया प्रखंड के सिरसिया में प्रसिद्ध कामेश्वर महादेव मंदिर में कोई भी योजना स्वीकृत/विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, चनपटिया विधान सभा में सिरसिया कामेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है । वहां अतिक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है और सरकार को जमीन भी नहीं मिल रहा है । पूर्वजों ने जो जमीन दिया है, उसका इतना अतिक्रमण हो रहा है कि दिन

प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जमीन खोजना बहुत मुश्किल काम है । इसलिए जमीन का चहारदिवारी नहीं होगा तो मठ-मंदिरों का जमीन समाप्त होते जायेगा...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, चहारदिवारी कितने दिनों में हो जायेगी ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में, अब बैठिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1394, श्री विनय बिहारी (क्षेत्र सं0-5, लौरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि लौरिया प्रखंड अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटैया बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात हस्तगत करा दिया गया है। वर्त्तमान में एक ए0एन0एम0 (श्रीमती नेहा कुमारी) पदस्थापित है एवं लौरिया प्रखंड अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों से रोस्टर के अनुरूप प्रश्नगत अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, सदन में चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस अस्पताल का निर्माण हुआ है । कटैया में रात्रि के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा के दौरान वहां ठहरे थे, स्थानीय लोगों ने उनसे आग्रह किया था, जिसकी वजह से कटैया सहादतपुर में और मेरा प्रश्न है कि वहां पर अस्पताल ढ़ाई करोड़ से बना हुआ है और एक ए0एन0एम0 हैं सुधा कुमारी, जो कभी आती है, कभी नहीं आती है, ज्यादा ड्यूटी उनकी लौरिया में रहती है, लौरिया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है । महोदय, मेरी तो मांग है, वहां पर दवा की दुकान खुली है, वहां पर डॉक्टर रहें .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : हमें डॉक्टर चाहिए और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके आशीर्वाद से वहां पर अस्पताल बना है .....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विनय बिहारी : वहां पर डॉक्टर कब मिलेगा, कब से डॉक्टर वहां पर रहेंगे, एक ए0एन0एम0 जो रहती भी नहीं हैं, उनसे कैसे काम चलेगा ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है, इसको भी यथाशीघ्र हमलोग पदस्थापित करेंगे ।

श्री विनय बिहारी : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1395, श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र सं0-35, बिस्फी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत धजवा मध्य विद्यालय के ऊपर से 1100 वोल्ट विद्युत तार गुजर रही है । उक्त फीडर की लाईन कई वर्षों से पुराना है, जबकि विद्यालय का निर्माण बाद में कराया गया है । वर्तमान में आर0डी0डी0एस0 योजना के तहत फीडर से एल0टी0 लाईन के निर्माण कार्य हेतु पोल गाड़ा गया है । कनीय विद्युत अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता, बिस्फी द्वारा स्थल निरीक्षण कर लिया गया है । तार स्थानांतरण हेतु वर्तमान में किसी प्रकार की कोई भी योजना का क्रियान्वयन नहीं है । जमा योजना अंतर्गत प्राक्कलन विद्यालय के प्रध्यानाध्यापक को भुगतान हेतु समर्पित कर दिया गया है । भुगतान प्राप्त होने के उपरांत उक्त तार के स्थानांतरण का कार्य किया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : श्रीमान्, पूरक ही पूछ रहे हैं । मध्य विद्यालय है और मध्य विद्यालय के ऊपर से तार जा रहा है और विद्युत विभाग कह रही है कि मध्य विद्यालय पैसा जमा करे, तब हटायेंगे तो मध्य विद्यालय कहां से पैसा जमा करेगी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या सरकार पैसा जमा करके या दूसरे मद से चूँकि मध्य विद्यालय में पैसा नहीं होता है, जल्द से जल्द 11000 का जो तार जा रहा है, जनहित में, बच्चों के हित में कब तक हटवाने का विचार रखती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, उत्तर जो आया है, स्कूल बाद में बना है, तार पहले से था। माननीय सदस्य का आग्रह है तो इसको देखवा लेंगे और उच्चस्तरीय बातचीत करके इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे ।

अध्यक्ष : इसका समाधान निकाल दीजिए, चूँकि स्कूल पैसा कहां से देगा ? अब बैठ जाईए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : जल्द से जल्द सर ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न सं0-1396(श्री विजय कुमार खेमका,क्षेत्र सं0-62,पूर्णिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिले में कुल 19422 कृषि विद्युत संबंध हेतु ऑनलाईन एवं कैम्प के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुआ है । योजना के

आकार के अनुरूप 8809 अदद् आवेदन को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत एवं 2317 अदद् आवेदन को एम0के0वी0एस0वाई0-1 के तहत विद्युत संबंध दे दिया गया । शेष बचे इच्छुक आवेदकों/किसानों को एम0के0वी0एस0वाई0- फेज-2 योजना के आकार के अनुरूप योजना में कृषि विद्युत संबंध दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए माननीय सदस्य ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, ऑनलाईन उत्तर आया है । मेरा पूरक है जिससे जुड़ा हुआ एन0डी0ए0 की सरकार में बिहार से लालटेन युग समाप्त हो गया है और घर-घर बिजली पहुंच गई है और खेत तक बिजली श्री नरेन्द्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में घर-घर बिजली पहुंच रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : पूरक है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूर्णिया जिला के लिए जो कृषि आवेदन है, दीन दयाल उपाध्याय कृषि विद्युत योजना के अन्तर्गत 8809 और मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज-1 के अन्तर्गत 2317, मंत्री जी ने बताया है . ....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : पूरक पूछ रहा हूँ, पूरक यह है कि जो शेष बचे हुए 8296 जो कृषक आवेदन दिये हैं ऑनलाईन, इनके बारे में माननीय मंत्री जी समय सीमा बतावें कि उनके खेत तक कब तक बिजली पहुँचायेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, योजना प्रारंभ कर दी गई है और कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही इसपर आगे कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : होगा तुरंत ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रयास से बिजली सब जगह पहुँची है और हमलोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने फेज-2 जो मुख्यमंत्री विद्युत योजना है, उसका कैम्प लगाकर आवेदन लेना शुरू किया है । लेकिन यह जो 8296 किसान जो पहले से 2021, 2022 तक आवेदन दिये हैं, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उसका विद्युत कनेक्शन का समय सीमा क्या होगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इनको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, इसमें क्या कठिनाई है । उस फेज में उतना ही पैसा था, फेज-1 मे उतना ही को दिया गया । अब दूसरा फेज का काम प्रारंभ हो चुका है, सभी लोगों से आवेदन माननीय सदस्य दिलवावें और उसपर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : हो गया ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बार-बार कितना आवेदन करेंगे, पूर्णिया में 8296 की संख्या है महोदय.....

अध्यक्ष : फेज-1 का पैसा समाप्त हो गया, फेज-2 में जो पैसा है, उसमें आवेदन देना पड़ेगा, आवेदन दिलवा दीजिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, विशेष ध्यान रखें पूर्णिया पर ।

श्री जीतन राम मांझी : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों के लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री इस हाऊस में अभी उपस्थित हैं और आज उनका जन्मदिन है । इसलिए हमलोग उनको सम्मिलित रूप में जन्मदिन की बधाई देते हैं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1397, श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र सं0-36, मधुबनी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि कंपनी अंतर्गत सहायक विद्युत अभियंता के कार्यरत बल की कमी के मद्देनजर तथा नव सृजित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पंडौल को कार्यात्मक किये जाने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पंडौल कार्यालय को तत्काल मधुबनी स्थित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मधुबनी कार्यालय परिसर में संचालित किया गया । साथ ही सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, मधुबनी को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, पंडौल का प्रभार प्रदान किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित मुख्य कार्य यथा बिल सुधार, विद्युत संबंध एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं, आदि का संपादन/निष्पादन हेतु विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय स्तर पर भी सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिये 1912 टॉल फ्री नम्बर, सुविधा ऐप एवं हर घर बिजली पोर्टल जैसे ऑनलाइन माध्यम तथा ई-मेल एवं वाट्सऐप से भी समस्याओं/शिकायतों के निदान की व्यवस्था है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, यह लगातार मेरा क्वेश्चन आता रहा है, माननीय मंत्री जी को कितने बार धन्यवाद भी दिये हैं लेकिन सच्चाई बात है कि पूरा शहर जो नगर निगम है और पूरा पंडौल बिहार में वन् टू टेन में सबसे बड़ा हमारा ब्लॉक है। एक ही एस0डी0ओ0, अवर प्रमंडल इन्होंने बना दिया दो साल पहले लेकिन पदाधिकारी नहीं

देंगे, एस0डी0ओ0 नहीं देंगे, जो शहर का भी रहेगा, जबकि वहां पर इन्डस्ट्रीयल एरिया भी है पंडौल, तो फिर आग्रह करना था कि कब तक ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसपर जल्दी कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : तुरंत की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1398(श्रीमती गायत्री देवी,क्षेत्र सं0-25,परिहार)

(लिखित उत्तर)

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : 1,2,3 एवं 4 - जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मृतक मुनटुन साह की पत्नी श्रीमती फूलो देवी को सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उनके खाता में दिनांक 12 फरवरी, 2024 को अनुग्रह अनुदान की राशि मो0 4.00 लाख (चार लाख) रूपये का भुगतान कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न डालने के बाद आश्रित को अनुग्रह राशि दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ । एक पूरक है, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछती हूँ कि आगे से आश्रित को महीना-दो महीना के भीतर में ही अनुग्रह राशि देने का विचार करेंगे ?

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, राशि दे दी गई है चार लाख रू0 और आगे ध्यान रखा जायेगा ऐसी घटनाओं में समय पर राशि दी जायेगी ।

श्रीमती गायत्री देवी : इसके लिए धन्यवाद पहले मैंने माननीय मंत्री जी को दे दी है और इसके अलावे यदि कोई घटना घटती है तो दो महीना के अन्दर में उसके आश्रित को अनुदान दिलाने का काम करेंगे ?

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं कि करेंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी : चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1399(श्री मुकेश कुमार रौशन,क्षेत्र सं0-126,महुआ)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : जवाब पढ़ दीजिए इनका, आप देखे नहीं होंगे, जवाब तो आया है । आप पढ़े नहीं होंगे, जवाब तो आया है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के संविदागत चतुर्थवर्गीय कर्मियों को प्रति माह मानदेय की राशि रू0 14800/- है

जिसमें नियमानुसार 10 प्रतिशत आयकर की कटौती कर रू0 13320/- का भुगतान किया जा रहा है ।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश संख्या-5762 दिनांक 31.01.2024 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित परिचारी का मानदेय 12000/- निर्धारित किया गया है ।

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के संविदागत चतुर्थवर्गीय कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित परिचारी के मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है । अतएव मानदेय वृद्धि का मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, एक तो 14800/- रू0 मिल ही रहा है और उसमें से भी 1500रू0 काट लिया जा रहा है । कम से कम इसको बढ़ा दिया जाय, आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो चतुर्थवर्गीय कर्मी हैं, उनका जो महंगाई के कारण 14800/- मिलता था, उसमें भी 1500रू0 काटकर मिल रहा है तो इतना में भरण-पोषण में दिक्कत हो रहा है .....

अध्यक्ष : पूरक ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, कम से कम इसको बढ़वा दिया जाय ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो चीज कहा कि एक तो जस्ट अभी चिट्ठी निकली है 31.01.2024 को, अभी तुरंत इन लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है और अभी तुरंत इसपर विचार नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

अलग से प्रश्न करियेगा ।

टर्न-4/पुलकित/01.03.2024

तारांकित प्रश्न सं0-1400, श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र सं0-47, रानीगंज (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-3879 दिनांक-03.10.2023 द्वारा रानीगंज प्रखंड के हाँसा पंचायत में हेल्थ एण्ड

वेलनेस सेंटर के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, पूरक है कि हाँसा पंचायत में डाक बंगला चौराहा के पास उप-स्वास्थ्य केन्द्र और वहां मेरा गांव है इसलिए माननीय मंत्री से आग्रह है कि हमको एक उप स्वास्थ्य केन्द्र बनवा दिया जाए ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने स्पष्ट तौर पर जवाब में कहा है कि निविदा की प्रक्रिया की जा रही है । यथाशीघ्र माननीय सदस्य के गांव में एडिशनल पी0ए0सी0 हेल्थ सेंटर तुरंत बन जायेगा ।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1401, श्री जय प्रकाश यादव (क्षेत्र सं0-46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरपतगंज, अररिया में स्त्री रोग चिकित्सक पदस्थापित नहीं है । अल्ट्रासाउण्ड का संचालन उन्हीं प्रथम रेफरल इकाई (FRUs) में किया जाता है जहाँ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पदस्थापित हो ताकि PC & PNDT (Pre Conception and pre-natal Diagnostic Techniques) का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सके । स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पदस्थापन के पश्चात् अल्ट्रासाउण्ड सेवा संचालित करने हेतु निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है, आप पूरक पूछिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । मेरा प्रश्न था कि मेरे अस्पताल में कॉमन हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था नहीं है और सदर अस्पताल जो जिला मुख्यालय का है वहां भी नहीं है । जवाब में है कि रेफरल अस्पताल में ऐसे रेफरल अस्पताल में व्यवस्था होगी जहां विशेषज्ञ डॉक्टर है । महोदय, सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल रेफरल अस्पताल, फारबिसगंज जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल में कब तक विशेषज्ञ डॉक्टर का पदस्थापन होगा ? महोदय, वहां पर अल्ट्रासाउण्ड की मशीन रखी हुई है । वहां अल्ट्रासाउण्ड नहीं हो रहा है, हम इसी का जवाब माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहे हैं ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है, अल्ट्रासाउण्ड सेवा संचालित हो, इसका निर्णय लिया जाएगा, यथाशीघ्र इसको करवाया जाएगा ।

श्री जय प्रकाश यादव : धन्यवाद मंत्री जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1402, श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र सं0-120, अमनौर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1403, श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र सं0-201, डुमराँव)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, डुमराँव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 09 चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावानगर में स्वीकृत 13 पदों के विरुद्ध 03 चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसठ में स्वीकृत 08 पदों के विरुद्ध 01 चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौगाईं में स्वीकृत 08 पदों के विरुद्ध 03 चिकित्सक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमराँव में स्वीकृत 08 पदों के विरुद्ध 02 चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत है ।

अनुमंडलीय अस्पताल, डुमराँव में 01 हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित है, जिनके द्वारा आवश्यकतानुसार मरीजों का प्लास्टर किया जाता है ।

शेष रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सकों के पदस्थापन की कार्रवाई विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठे होंगे । महोदय, मुझे जो जवाब मिला है इस जवाब में लिखा गया है कि जिन अस्पतालों के बारे में मैंने कहा है डुमराँव, नावानगर, केसठ, चौगाईं वहां पर पदों की संख्या बताई गयी है । मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहां ओ0पी0डी0 और आकस्मिक एवं रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है या नहीं ? महोदय, इसका जवाब तो उत्तर में नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ आंकड़ा दिया गया है। मैंने तो इसी आंकड़ें का तो सवाल पूछा था, जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा ? जबकि बात स्पष्ट है जो भी जवाब दिया गया है ।

अध्यक्ष : आपने क्या प्रश्न किया है, मैं आप ही का प्रश्न पढ़ता हूँ । आपने प्रश्न किया है अनुमण्डल अस्पताल में स्वीकृत पद के आधार पर चिकित्सकों को बहाल करने तथा

अनुमंडल अस्पताल में हड्डी संबंधित ऑपरेशन शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? इसका सरकार ने जवाब दिया है कि शेष रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या कम रहने से आकस्मिक सेवा और ओ0पी0डी0 सेवा प्रभावित होती है या नहीं ? यह मेरा पहला प्रश्न है इसका जवाब तो उत्तर में है ही नहीं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं पूरक ही तो पूछ रहा हूँ, इसका जवाब है ही नहीं । आप बताइये कि सेवा रहती है या नहीं, यह मेरा पहला पूरक है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट है । माननीय सदस्य इधर-उधर न घुमावें । वस्तुस्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल, डुमराँव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 09 चिकित्सक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावानगर में स्वीकृत 13 पदों के विरुद्ध 03 चिकित्सक हैं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केसठ में स्वीकृत 08 पदों के विरुद्ध 01 चिकित्सक है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौगाईं में स्वीकृत 08 पदों के विरुद्ध 03 चिकित्सक हैं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमराँव में स्वीकृत 08 पदों के विरुद्ध 02 चिकित्सक हैं । महोदय, इनको स्थिति बताई गयी है और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अनुमंडल अस्पताल डुमराँव में 01 हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित है, जिनके बारे में इन्होंने चर्चा की कि हड्डी टूट जाती है तो दुर्घटना में हड्डी टूटने के दौरान हड्डी पर प्लास्टर नहीं किया जाता, उसकी चर्चा इन्होंने की है।

शेष जो पद रिक्त हैं उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमलोगों को बहुत उम्मीदें हैं । महोदय, मैं वही तो कह रहा हूं कि मैंने जो लिखा है सर ने उसी को पढ़ा है । महोदय, मैंने पूछा है कि ये पद रिक्त हैं तो क्या इसकी वजह से आकस्मिक सेवाएं ठप रहती है । इसका हां और ना में जवाब देना है, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला है ।

महोदय, दूसरा सवाल मैंने पूछा है कि ऑपरेशन तथा प्लास्टर दोनों सवाल पूछा है । महोदय, कृपया एक सैकेंड समय दिया जाए । ऑपरेशन तथा प्लास्टर वहां ड्रेसर नहीं है, जिसकी वजह से ऑपरेशन होता ही नहीं है । इन्होंने ऑपरेशन का

जवाब नहीं दिया कि ऑपरेशन होता है या नहीं । इनको लिखना चाहिए था कि वहां पर ऑपरेशन नहीं होता है ।

अध्यक्ष : क्या लिखना चाहिए इसे छोड़िये । आप क्या पूछना चाह रहे हैं ?

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऑपरेशन होता है या नहीं, इसका जवाब नहीं मिला है । दूसरा, इसमें इन्होंने लिखा है कि कभी-कभी प्लास्टर होता है । मैं कहना चाहता हूं कि प्लास्टर कभी नहीं होता है । जो भी डॉक्टर हैं उनका बगल में प्राइवेट क्लीनिक है । कोई मरीज आता है तो उसको अपने प्राइवेट क्लीनिक में भेज देते हैं और वहां प्लास्टर होता है । महोदय, सारे अस्पतालों की यही स्थिति है, यह दुर्दशा है । मैं पूरक के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि यह तो वास्तविक है, हकीकत है और यह बात स्पष्ट है कि आकस्मिक सेवा और रात्रिकालीन सेवा नहीं चलती है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : चुनाव के बाद ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, पूरक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी दुर्दशा है, इतनी बुरी हालत है । महोदय, आधे भी डॉक्टर नहीं है, एक-तिहाई डॉक्टर हैं । मैं पूरक यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सके तो उसके लिए क्या यथा शीघ्र, अभी सर ने बताया चुनाव ।

अध्यक्ष : अब हो गया, बैठ जाइये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं चाहता हूं चुनाव के बाद की बात नहीं हो । चुनाव के पहले यथाशीघ्र क्या डॉक्टर की नियुक्ति होगी जिससे वहां के लोगों की जान बच सके ।

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, इनके ही यथाशीघ्र पर कार्रवाई करूंगा, आश्वस्त करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हैं ? पूछिये ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूरक है । 28 डॉक्टर के अगेंस्ट में 9 डॉक्टर की बहाली हैं, जहां 18 के अगेंस्ट में 3 और 8 के अगेंस्ट में 3 डॉक्टर हैं । महोदय, पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह की है, इस तरह का दबाव और पी0एम0सी0एच0 में दबाव बढ़ जाता है, एम्स में दबाव बढ़ जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री महा नंद सिंह : मेरा यही पूरक है जो डॉक्टरों के पद इतने ज्यादा हैं और डॉक्टर के पद पर नियुक्त महज बहुत कम डॉक्टर है । इन पदों को कबतक भरने की कार्रवाई होगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बताया तो यथाशीघ्र होगी और प्रश्नकर्ता भी संतुष्ट हो गये । अब बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-1404, श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र सं0-16, कल्याणपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1405, श्री श्रीकान्त यादव (क्षेत्र सं0-113, एकमा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0- 1406, श्री मिथिलेश कुमार (क्षेत्र सं0-28, सीतामढ़ी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1407, श्री संजय सरावगी (क्षेत्र सं0-83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1,2,3 एवं 4 वस्तुस्थिति यह है कि स्व0 जीतेश कुमार राम की आश्रित माता मसे0 रासो देवी को कार्यालय आदेश संख्या-25, ज्ञापांक-240, दिनांक-02 फरवरी, 2024 द्वारा अनुमान्य मुआवजा के राशि 400000.00 (चार लाख रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसका भुगतान चेक सं0-053713, दिनांक- 09 फरवरी, 2024 द्वारा मृतक के आश्रित को कर दिया गया है ।

स्व0 बच्चा बाबू खान की आश्रित पत्नी शहनाज बेगम को कार्यालय आदेश संख्या- 07, दिनांक- 14 जनवरी, 2023 द्वारा अनुमान्य मुआवजा की राशि 400000.00 (चार लाख रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसका भुगतान चेक संख्या- 053173, दिनांक- 09 फरवरी, 2024 द्वारा मृतक के आश्रित को कर दिया गया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं । उत्तर मुद्रित है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई समय-सीमा तय करेंगे, विद्युत विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया, कोई अगर सरकारी पोल, तार से करंट से मृत्यु हो जाती है तो उसको चार लाख का मुआवजा मिलता है । मेरे प्रश्न करने के बाद उन दोनों को चेक पहुंच गया लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि डेढ़-डेढ़ साल हो जाता है । माननीय मंत्री जी कोई समय-सीमा तय करेंगे क्योंकि गरीब लोग है, सरकारी पोल तार से अब विधान सभा में प्रश्न लगाने के बाद । महोदय, सवा साल हो गया । मैं माननीय मंत्री महोदय

से पूछना चाहता हूं कि कोई समय-सीमा विभाग की तय है क्या या तय करेंगे ताकि उसको मुआवजा मिल जाए ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो मृत्यु होती है, उसकी जांच करने में थोड़ा वक्त लगता है । इन्स्ट्रक्शन दिये जायेंगे कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो जांच करके उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1408, श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र सं0-200, ओबरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1409, श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' (क्षेत्र सं0-35, बिस्फी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के रहिका प्रखण्ड अंतर्गत हुसैनपुर पंचायत के सोनमनी गांव में Revamped Distribution Sector Scheme (आर0डी0एस0एस0) योजना के द्वारा कुल 8 कि0मी0 केबुल एवं 2 अदद ट्रान्सफॉर्मर के साथ 50 पोल का कार्य स्वीकृत है । कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य नवम्बर, 2024 है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : महोदय, उत्तर मिल गया है । माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1410, श्री रामवृक्ष सदा (क्षेत्र सं0-148, अलौली (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1411, श्री विजय कुमार (क्षेत्र सं0-169, शेखपुरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1412, श्री विनय बिहारी (क्षेत्र सं0-5, लौरिया)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चम्पारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है । 5228 वर्ग किलोमीटर का है और पश्चिमी चम्पारण में मात्र तीन ही अनुमंडल है जबकि बगल का जो जिला है मोतिहारी पूर्वी चम्पारण उसमें छह अनुमंडल है । महोदय, मेरा पूरक

है कि नगर पंचायत मच्छरगांवा को और राम नगर, धनहा और वाल्मीकीनगर इन सभी को सरकार अनुमंडल बनाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : आपका यह प्रश्न नहीं है । आपका प्रश्न सं0- 1412 है । आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं ।

श्री विनय बिहारी : ठीक है । हमारे यहां जो नंदनगढ़ है, यहां पर इसकी जो जमीन है, उसकी जमीन को अतिक्रमित किया गया है और पूरक यह है कि सौंदर्यीकरण कब तक किया जाएगा ताकि वहां पर अतिक्रमण मुक्त हो, उसकी बाउंड्री हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लौरिया नंदनगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। महोदय, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रबंधन में है । इसे कला संस्कृति विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : कला संस्कृति विभाग को स्थानांतरित हुआ है, बाद में आपको जवाब जायेगा ।

टर्न-5/अभिनीत/01.03.2024

तारांकित प्रश्न सं0-1413 (श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्र सं0-100, बरौली)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक ।

2-अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2020-21 में प्राप्त कुल 13,156 आवेदनों का निष्पादन करते हुए रु0 93,63,02,500 (तिरानवे करोड़ तिरसठ लाख दो हजार पांच सौ रुपये) वर्ष 2021-22 में 20,628 आवेदनों के विरूद्ध रु0 153,28,27,012/- (एक सौ तिरपन करोड़ अठाईस लाख सताईस हजार बारह रुपये), वर्ष 2022-23 में 33,551 आवेदनों के विरूद्ध रु0 224,93,97,000/- (दो सौ चौबीस करोड़ तिरानवे लाख संतानवे हजार रुपये) एवं वर्ष 2023-24 (दिनांक-21.02.2024 तक) में 34,813 आवेदनों का निष्पादन करते हुए रु0 218,83,70,500 (दो सौ अठारह करोड़ तेरासी लाख सत्तर हजार पांच सौ रुपये) की राशि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान हेतु स्वीकृत की गयी है ।

स्पष्ट है कि अनुदान हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद भी प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन करते हुए अनुदान की राशि ससमय स्वीकृत की जाती है ।

3- उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, जवाब आया है मैं संतुष्ट हूं लेकिन मेरी चिंता है कि चिकित्सा अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं लेकिन अनुदान स्वीकृत करने में कई महीने लग जाते हैं । अनुदान स्वीकृत भी हो जाते हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आवेदन प्राप्ति के 7 से 10 दिनों के भीतर राशि विमुक्त कराने का विचार सरकार रखती है । क्योंकि राशि जाते-जाते बहुत से रोगियों की स्थिति बिगड़ जाती है । बहुत से रोगी मर जाते हैं । इसलिए ससमय राशि भेजी जाय और रोगियों का इलाज कराया जाय ।

अध्यक्ष : बैठिए । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो स्पष्ट है । अब तो सप्ताह में दो दिन हो रहा है और इसके साथ-साथ जो स्वीकृत और अस्वीकृत है मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं । लगातार चाहे वह 2020-21 का मामला हो 93 करोड़ रुपये पूरे बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया जिसमें 13 हजार 155 आवेदन आये, उसमें 11 हजार 180 स्वीकृत किये गये । उसके बाद 2021-22 में 20 हजार 628 आवेदन आये जिसमें 17 हजार 560 स्वीकृत किये गये । उसी तरह 2023-24 में 34 हजार 813 आवेदन आये जिसमें 30 हजार 992 स्वीकृत किये गये । इसलिए बहुत लेट का प्रोसेस नहीं है । इसके बावजूद सरकार जरूर विचार करेगी कि उसको मेडिकल कॉलेज में आगे के स्तर पर इसको विकेन्द्रित करने का काम करेगी ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, मंत्रीजी की राशि स्वीकृत होती है, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन पैसा जाते-जाते बहुत से रोगी अस्पताल में मर जाते हैं । इसलिए ससमय संबंधित अस्पताल में वह राशि चली जाय, मेरी यह चिंता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । मंत्रीजी आपकी बात का ध्यान रखेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1414 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0-169, शेखपुरा)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1415 (श्री छत्रपति यादव, क्षेत्र सं0-149, खगड़िया)

श्री छत्रपति यादव : सर, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, छत्रपति जी का उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, खगड़िया प्रखंड मुख्यालय के पास अवस्थित पोखर घाट निर्माण संबंधी योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है । उक्त घाट का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, जिस पोखर की बात कर रहे हैं प्रखंड मुख्यालय के अंदर पड़ता है और वहां के इर्द-गिर्द जो संख्याएं हैं न तो उसको पूजा-पाठ में सुविधा होती है, न बुजुर्ग आदमी को घुमने-फिरने में सुविधा होती है । घाट जबतक बन जाता है सरकार के द्वारा..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, पूरक पूछ रहे हैं कि उस घाट का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है सरकार कब तक करायेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, प्लान में ले लिया गया है । ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान में ले लिया गया है । अगले वित्तीय वर्ष में काम शुरू कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगले वित्तीय वर्ष में हो जायेगा ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । बताना नहीं है, पूछना है ।

श्री छत्रपति यादव : इसी से जुड़ा हुआ मामला है, महोदय ।

अध्यक्ष : पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हमारे यहां गंडक किनारे जो घाट है उसका भी वर्षों से निर्माण नहीं हुआ है । हम चाहते हैं कि उसको भी इसके संज्ञान में डाल दिया जाय ।

अध्यक्ष : यह कहां है ? इसमें गंडक की बात कहां आ रही है ? इसमें तो जिक्र नहीं है आपका ।

श्री छत्रपति यादव : नहीं गंडक नदी हमारे..

अध्यक्ष : जो प्रश्न है उसमें इसका जिक्र नहीं है ।

श्री छत्रपति यादव : सर, घाट से जुड़ा हुआ था इसलिए बोले..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न से बाहर नहीं ।

माननीय सदस्य, श्री देवेश कांत सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0–1416 (श्री देवेश कांत सिंह, क्षेत्र सं0–111, गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर सी0एच0ओ0 का संविदागत नियोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत किया जाता है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सी0एच0ओ0 का मानदेय रु0 25,000/– प्रतिमाह की दर से एवं रु0–15,000/– प्रतिमाह की दर से निर्धारित मापदण्डों के आधार पर Performance Linked Payment अनुमान्य है । राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सी0एच0ओ0 का मानदेय रु0 32,000/– प्रतिमाह की दर पर अनुमान्य है । इसके अतिरिक्त सभी सी0एच0ओ0 को रु0 8,000/– प्रतिमाह की दर से Performance Linked Payment (निर्धारित मापदण्डों के आधार पर) अनुमान्य है ।

2– अस्वीकारात्मक है ।

3– विचाराधीन नहीं है ।

श्री देवेश कांत सिंह : पूरक पूछना है माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से कि क्या माननीय मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे हेल्थ और वेलफेयर योजना लागू की गयी, इसमें CHO'S के पद सृजित हैं । वहां जब नर्स पदस्थापित होती हैं तो उनको 70 हजार से 1 लाख तक का वेतनमान प्राप्त होता है और अन्य लोगों को 32 हजार प्राप्त होता है । इस पर भारत सरकार का कुछ निर्देश भी है कि इनको समाहित करके इनको भी उतना दिया जाय । इसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी पूरी समीक्षा कर लेता हूं लेकिन अभी जो रेट है वह बड़ा स्पष्ट है कि CHO'S को 25 हजार रुपये मानदेय देना है और साथ ही साथ 15 हजार रुपये Performance Linked Payment का अनुमान्य है । इसके आधार पर यह है लेकिन यदि माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है तो इसकी पूरी समीक्षा करा लेता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । समीक्षा करेंगे पूरी बात की ।

श्री देवेश कांत सिंह : उसमें भारत सरकार का निर्देश है उस पर कार्रवाई कर ली जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-1417 (श्री शकील अहमद खाँ, क्षेत्र सं0-64, कदवा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलांतर्गत कदवा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापन की कार्रवाई विचाराधीन है ।

श्री शकील अहमद खाँ : सर, हमको उत्तर प्राप्त है और मुझे गालिब की शेर याद आ गयी है:-

''कोई उम्मीद नहीं आती,
कोई सूरत नजर नहीं आती,
पहले आती थी हाले दिल पर हँसी,
अब किसी बात पे नहीं आती ।''

साढ़े आठ साल से मैं खुद इस सदन में इसी तरह का विकास का जवाब स्वास्थ्य के मामले में सुन रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री शकील अहमद खाँ : अभी आपने कहा कि यथाशीघ्र हो जायेगा । मैं उसपर विश्वास करके बैठ जाता हूं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1418 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र सं0-217, घोसी)

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, मेरे पास उत्तर उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर आपने पढ़ा नहीं होगा । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, इनका उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोसी का..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखिए ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अस्पताल जर्जर होने के कारण यह मनरेगा भवन में संचालित है । निर्माण एजेंसी बी0एम0एस0आई0सी0एल0 से इस कार्यालय के पत्रांक-186 (10), दिनांक- 28.02.2024 के द्वारा प्राक्कलन की मांग की गयी है । प्राक्कल प्राप्त होते ही विहित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में मेरा गैर सरकारी संकल्प था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, घोसी का आवासीय भवन और अस्पताल भवन बनाने के लिए । सरकार द्वारा आश्वास मिला था कि इसी वित्तीय वर्ष में मतलब 2023-24 में बनवा दिया जायेगा । हमलोग सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में, बनेगा तो इतनी जल्दी नहीं..

अध्यक्ष : इसी वित्तीय वर्ष कैसे बनेगा ।

श्री रामबली सिंह यादव : लेकिन क्या इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा महोदय ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 28.02.2024 को प्राक्कलन बनाने का आदेश दे दिया गया है । जैसे ही प्राप्त होती है वैसे ही स्वीकृत करके काम शुरू कर देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, एक समय बता दिया जाय । कब तक यह उम्मीद रखा जाय कि शुरू हो जायेगा घोसी अस्पताल निर्माण ?

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैंने तो स्पष्ट कहा कि 28.02.2024 को मतलब दो दिन पहले हमलोगों ने प्राक्कलन बनाने का आदेश दिया है । जैसे ही प्राप्त होता है स्वीकृत कर देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1419 (श्री राम सिंह, क्षेत्र सं0-4, बगहा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड बगहा-2 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है जिसका भवन पुराना है ।

निर्माण एजेंसी को इस कार्यालय के पत्रांक-188(10), दिनांक-28.02.2024 से स्थल निरीक्षण कर मानक के अनुरूप भवन की आवश्यकता का आकलन कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया है । प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए राम सिंह जी ।

श्री राम सिंह : जी महोदय पूरक पूछता हूं । मैंने जो प्रश्न किया था उसमें उत्तर जो आया है वह स्वास्थ्य उप केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है । वहां स्वास्थ्य उप केंद्र जिसमें

बैठने लायक जगह नहीं है और मेरे प्रश्न करने के बाद में एजेंसी जाकर जांच कर उत्तर दिया था इन लोगों को, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कबतक बन जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इसका आकलन किया जा रहा है । आकलन जैसे ही प्राप्त होता है तो पूरा स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जा सकता है । इसकी स्वीकृति तुरंत अगले वित्तीय वर्ष में दे दूंगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में होगा ।

श्री राम सिंह : माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-1420 (डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, क्षेत्र सं0-118, छपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिले के प्रखंडों में अवस्थित विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों यथा-जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे जांच की सुविधा पी0पी0पी0 अथवा इन-हाउस मोड में संचालित किया जा रहा है ।

वर्तमान में सारण जिले के बनियापुर, छपरा, मढ़ौरा, सोनपुर, तथा तरैया प्रखंड में अवस्थित जिला अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल तथा रेफरल अस्पतालों में एक्स-रे जांच की सुविधा पी0पी0पी0 मोड में संचालित किया जा रहा है । साथ ही, एकमा, मांझी, अमनौर, परसा, दरियापुर, गरखा, मशरख तथा दिघवारा प्रखंडों में अवस्थित सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक्स-रे जांच हेतु 300 एम0ए0 एक्स-रे मशीन इन हाउस मोड में अधिष्ठापित है । वर्तमान में दरियापुर एवं दिघवारा में एक्स-रे तकनीशियन नहीं रहने के कारण एक्स-रे जांच नहीं हो रही है । विदित हो कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 803 एक्स-रे तकनीशियन की बहाली प्रक्रियाधीन है । एक्स-रे तकनीशियन के पदस्थापना होने के पश्चात एक्स-रे जांच की सेवा बहाल कर दी जायेगी ।

साथ ही, सारण जिले के शेष प्रखंडों यथा ईशुआपुर, लहलादपुर, मकेर, नगरा, पानापुर तथा रिविलगंज में अवस्थित सामुदायिक/प्राथमिक अस्पतालों में इन हाउस मोड में एक्स-रे मशीन के अधिष्ठापन हेतु बजट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित की गयी है । बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा एक्स-रे मशीन अधिष्ठापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, सरकार की तरफ से प्रश्न का जो जवाब दिया गया है उस संबंध में कहना चाहूंगा कि आज के युग में जांच का महत्व काफी बढ़ गया है । जहां सुविधाएं उपलब्ध हैं अच्छी बात है लेकिन जहां जांच की उपलब्धता नहीं है मरीजों को परेशानी हो रही है । उनके पैसे का अपव्यय हो रहा है । सरकार को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द तकनीशियन की बहाली हो इस पर सोचना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । सरकार जरूर सोचेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1421 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र सं0-225 गुरूआ)

(लिखित उत्तर)

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरारू, गया में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (डा0 मजहर हुसैन) लगभग 08 वर्षों से तथा हेल्थ मैनेजर लगभग 05 वर्षों से अधिक समय से पदस्थापित हैं ।

मुहर्रम पर्व के दौरान अस्पताल में उपस्थित नहीं रहने के कारण जिला पदाधिकारी, गया द्वारा डा0 हुसैन के वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी थी । डॉ0 हुसैन से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में वेतन भुगतान पर लगायी गयी रोक से डॉ0 हुसैन को मुक्त कर दिया गया है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुरारू, गया में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा हेल्थ मैनेजर अपनी ड्यूटी पर आते हैं ।

लंबे समय से एक ही जिला/संस्थान में पदस्थापित चिकित्सकों के स्थानांतरण पर आगामी जून माह में विचार किया जायेगा ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से बोला था कि विगत, वहां पर लोग आठ वर्ष से, पांच वर्ष से चिकित्सा पदाधिकारी या हेल्थ मैनेजर एक ही जगह पदस्थापित हैं और ड्यूटी में लापरवाही लोग करते हैं । यह गुरारू का मामला था तो उस समय हमारे मुहर्रम में नहीं थे, तो उस समय जिला पदाधिकारी उनलोगों का वेतन बंद किये फिर जब दुबारा अनुमंडल पदाधिकारी गये उस दिन भी मैं मौजूद था, तो महोदय वहां पर यह सुधार कैसे होगा और एक ही जगह पर कोई आठ वर्ष से, दस वर्ष से पदस्थापित है तो इन्होंने कहा कि जून में ट्रांसफर करेंगे, तो वैसे कर्मी पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है ? जब भी कोई आदमी जाये चिकित्सा पदाधिकारी लोग को तो वहां पर रहना है, वह सप्ताह में एक दिन, दो दिन आयेंगे, अस्पताल में कोई कर्मी नहीं रहेगा महोदय ।

टर्न-6/हेमन्त/01.03.2024

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनय कुमार : वह ब्लॉक लेवल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है । अभी तो नये भवन का भी उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है,..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनय कुमार : प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न ।

श्री विनय कुमार : तो वहां डॉक्टरों की बहाली की जाय, विधि-व्यवस्था को सुधारा जाय । वह लगभग सात करोड़ की लागत से अस्पताल बनाया गया है ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर मैंने इसमें बताया है कि जांच के उपरांत डॉक्टर मजहर हुसैन साहब का वहां पर वेतन रोक दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद जो डॉक्टर्स बचे हुए हैं या अन्य पदस्थापन करना है उसको जून माह तक पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री विनय कुमार : महोदय, एक मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : आप तो पूरक पूछते ही नहीं हैं ।

श्री विनय कुमार : महोदय, इन्होंने बोला कि वेतन रोक दिया गया है । फिर वेतन चालू भी हो गया है । वहां के जो हेल्थ मेनेजर हैं, क्यों नहीं उनका ट्रांसफर किया जाता है । पांच-पांच वर्ष से..

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि जून में ट्रांसफर होगा ।

श्री विनय कुमार : महोदय, उनको कब तक हटायेंगे, उनकी बदली की जाय, वहां से हटा दिया जाय ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय सदस्य लिखकर दे दें, उस पर जल्द-से-जल्द कार्रवाई की जायेगी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1422, श्रीमती प्रतिमा कुमारी(क्षेत्र सं0-127, राजापाकर (अ0जा0))</u>

अध्यक्ष : पूरक पूछिये प्रतिमा जी ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : सर, सवाल का जवाब हमने नहीं देखा है । माननीय मंत्री जी को बोलिये कि जरा पढ़ दें, फिर पूरक पूछती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग । प्रतिमा कुमारी जी का जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र वैशाली जिला के राजापाकर के प्रखण्ड सहदेई बुजुर्ग अंतर्गत पोहियार पंचायत के वार्ड नं0–7 स्थित दलित बस्ती में गर्मी एवं ओवर लोड के कारण Cable Faulty हो गया था । जिसे अविलम्ब बदलवाने की कोशिश की गई, परंतु तकनीकी कारणों से 2–3 दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी। वर्तमान में केबल बदलकर विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है । तकनीकी अथवा अन्य कारणों से यदि विपत्र में त्रुटि हो जाती है तो नजदीकी कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर इसमें सुधार करायी जा सकती है । उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए विपत्र सुधार हेतु प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को प्रशाखा स्तर पर कैम्प का आयोजन भी किया जाता है ।

समय–समय पर सम्पोषण का कार्य किया जाता है, ताकि Cable Faulty की समस्या उत्पन्न न हो ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : सर, पूरक है मेरा ।

अध्यक्ष : पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : महोदय, ये जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्कुल गलत जवाब दिया है, चूंकि ये लोग गांव में बिल्कुल नहीं जाते हैं । तीन महीने तक वहां बिजली नहीं थी । जब हम गांव में गये, तो गांव की महिलाओं ने कहा कि मैडम, हम लोग शाम को ही खाना बनाकर सो जाते हैं, चूंकि दस रुपया में जब मोमबत्ती लाते हैं, तो वह आधा घंटा भी नहीं चलती है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके बाद बिजली विभाग ने बिजली जोड़ी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : लेकिन बिजली जोड़ने के बाद, जब तीन महीने बिजली नहीं थी, तो उसका भी बिजली बिल भेजा है अधिकारियों ने, तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैडम, लिखकर दे दीजिए हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, जांच करवा देंगे ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1423, श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र सं0–191, बिक्रम)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–1424, श्री जयन्त राज (क्षेत्र सं0–159, अमरपुर)

अध्यक्ष : उत्तर मिला है आपको, पूरक पूछिये ।

श्री जयन्त राज : सर, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग । उत्तर पढ़ दीजिए इनका ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिला के निकटवर्ती जिलों यथा– भागलपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर संचालित है, जमुई जिला में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माणाधीन है तथा मुंगेर में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की योजना स्वीकृत है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बांका जिला में चिकित्सा महाविद्यालय निर्माण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री जयन्त राज : सर, बांका जिला पिछड़ा जिला है । बिहार के आकांक्षी जिलों में बांका जिला भी आता है नीति आयोग के अनुसार । स्वास्थ्य व्यवस्था वहां की काफी लचर है और जल्द–से–जल्द वहां पर चिकित्सा महाविद्यालय..

अध्यक्ष : अभी वहां पर विचाराधीन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, तो सरकार सुन भी रही है । बैठिये ।

श्री जयन्त राज : सर, माननीय उप मुख्यमंत्री बगल से ही आते हैं और पूरे जिले से ये परिचित हैं।

अध्यक्ष : सरकार ने आपकी बात सुनी है ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है मुंगेर, भागलपुर और जमुई में अस्पताल या तो चल रहे हैं या निर्माणाधीन हैं । इसके बाद तो बांका ही बनना है । जरूर बनेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–1425, श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र सं0–33, खजौली)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(लिखित उत्तर) : 1– आंशिक स्वीकारात्मक ।

2– आंशिक स्वीकारात्मक । विदित हो कि बासोपट्टी में विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बासोपट्टी का कार्यालय संचालित है ।

विद्युत उपभोक्ताओं से संबंधित मुख्य कार्य यथा बिल सुधार विद्युत संबंध एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्याओं आदि का संपादन/निष्पादन विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय के स्तर से किया जाता है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिये

1912 टोल फ्री नम्बर, सुविधा ऐप एवं हर घर बिजली पोर्टल जैसे ऑनलाईन माध्यम तथा ई-मेल एवं वाट्सऐप से भी समस्याओं/शिकायतों के निदान की व्यवस्था है ।

वर्तमान में नवसृजित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बासोपट्टी, कार्यालय जयनगर स्थित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय परिसर में संचालित है । साथ ही, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बासोपट्टी कार्यालय में सहायक विद्युत अभियंता पदस्थापित हैं ।

3- विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बासोपट्टी कार्यालय का संचालन बासोपट्टी अंतर्गत किये जाने हेतु किराये पर मकान/परिसर लेने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये अरूण जी ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक इतना ही है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न है कि बासोपट्टी में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय संचालित हो अर्थात् वहां एसडीओ का पद है, असिस्टेंट इंजीनियर है, माननीय मंत्री जी ने कृपा करके वहां नवसृजित बनाया भी है, लेकिन जो एसडीओ है, इन्होंने अनुमति दे दी है कि किराया पर लेकर आप कार्यालय चलाइये, लेकिन इन्होंने जयनगर में आवास रखा हुआ है, इसलिए ये चाहते नहीं हैं कि बासोपट्टी के लोगों को इसका लाभ मिले और जयनगर से ही संचालित करते हैं ।

अध्यक्ष : पूछिये, पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : तो बासोपट्टी में कब तक कार्यालय किराये पर लेकर या अपना भवन बनाकर वहां कार्यालय अवस्थित करके उसमें वह विधिवत बैठाना चाहते हैं माननीय मंत्री जी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, भवन बनाने में तो वक्त लगेगा । कार्यालय को निर्देश दिया गया है, उसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपके उत्तर में ही स्पष्ट है कि आपने आदेश दिया है किराये पर लेने के लिए । माननीय सदस्य का कहना है कि वह किराये पर लेना नहीं चाहता है, क्योंकि रहता कहीं और है । इसको दिखवा लीजिएगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने कहा दिखवा लेते हैं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1426, श्रीमती रश्मि वर्मा (क्षेत्र सं0-3, नरकटियागंज)

अध्यक्ष : उत्तर मिला न आपको, पूरक पूछिये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय मंत्री जी जरा जवाब पढ़ दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में वर्ष 2012 से एम्बुलेंसों का परिचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में निविदा के माध्यम से चयनित आउटसोर्स एजेन्सी के द्वारा किया जा रहा है ।

विदित हो कि फरवरी, 2014 में एम्बुलेंसों परिचालन की अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने तथा एम्बुलेंस परिचालन निविदा से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित रहने के कारण नई निविदा के सम्पन्न होने में विलम्ब हुआ था, जिसके कारण उक्त संक्रमण काल में तदर्थ व्यवस्था के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा का परिचालन फरवरी, 2014 से जुलाई, 2017 तक तदर्भ रूप से किया गया था ।

वर्ष 2017 में नई निविदा सम्पन्न होने के पश्चात् निविदा के माध्यम से चयनित आउटसोर्स एजेन्सी के द्वारा टोल फ्री नम्बर 102 के माध्यम से पुनः अगस्त, 2017 से राज्य के सम्पूर्ण जिलों में 102 एम्बुलेंस सेवा का परिचालन लगातार किया जा रहा है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के आम लोगों द्वारा टोल फ्री नम्बर 102 पर कॉल कर एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क प्राप्त की जाती है, परन्तु तकनीकी या किसी अन्य कारण से टोल फ्री नम्बर 102 के माध्यम से यदि एम्बुलेंस सेवा बुक नहीं हो सके तथा आई0डी0 जेनरेट नहीं हो पाये तो संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक के निर्देश पर एम्बुलेंस की मांग करने वाले मरीज को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करायी जाती है ।

विदित हो कि राज्य में 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत संचालित सभी एम्बुलेंसों के परिचालन से संबंधित संधारित लॉग बुक का सत्यापन संबंधित अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् ही एम्बुलेंसों के परिचालन व्यय का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा किया जाता है ।

उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : इतना विस्तृत जवाब है । अब क्या ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मेरा पूरक यह है कि जो आई0डी0 जेनरेट होती है, वह कभी भी फोन नहीं लगता है, मेक्सिमम फोन नहीं लगते हैं । नतीजा यह होता है कि एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह जा रही है और प्राइवेट एम्बुलेंस यूज हो रही है, जो मनमाने ढंग से मरीजों का..

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार स्वयं हॉस्पिटल के प्रभारी को यह सिस्टम डायरेक्ट हाथ में देना चाहती है ताकि मरीजों को डायरेक्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया कि यदि टोल फ्री नम्बर पर आई0डी0 जेनरेट नहीं होगी, तो जो अधीक्षक हैं या डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं या प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी ।

टर्न–7/धिरेन्द्र/01.03.2024

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक और पूरक था कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब हो गया । बैठ जाइये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला है किसी अधीक्षक के विषय में या प्रभारी.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो हो गया ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, यदि हो तो उसे अस्पताल में बकायदा नोट करवा दिया जाय या चिपका दिया जाय, क्योंकि मरीजों को यह जानकारी नहीं है । सबको जानकारी मिल जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजियेगा ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 01 मार्च, 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं-श्रीमती प्रतिमा कुमारी एवं श्री अजीत शर्मा । आज सदन में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं, जिसमें गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन निमयमावली के नियम-19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

आज 12.30 बजे तक माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण और शून्यकाल हो जायेगा । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत प्रखंड दिघलबैंक अंतर्गत धानगढ़ा वार्ड नं॰-6 पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ सड़क से मिन्हाजुल के घर होते हुए बनबरिया स्कूल तक पक्की सड़क नहीं होने से हजारों की आबादी काफी प्रभावित है, जिस कारण जनता आक्रोशित है ।

मैं सरकार से लोकहित में उपरोक्त सड़क का निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा-1 प्रखंड के कपरधिका से छोटकीपट्टी एन॰एच॰-727 तक पी॰डब्ल्यू॰डी॰ सड़क आस-पास के क्षेत्रों को पुलिस जिला, अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखण्ड कार्यालय बगहा से जोड़ता है ।

अतः कपरधिका से छोटकीपट्टी एन॰एच॰-727 तक पी॰डब्ल्यू॰डी॰ सड़क को चौड़ीकरण कराने हेतु मैं सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैथिली विषय के प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर धरि मिथिला क्षेत्रक समस्त शैक्षणिक विद्यालयमे एक सौ अंकक मैथिली भाषा आ साहित्य अनिवार्य विषयक रूपमे पढेबाक लेल सरकार सँ माँग करैत छी ।

डॉ॰ निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बौंसी प्रखण्ड के सी॰एन॰डी॰ उच्च विद्यालय बौंसी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है । किन्तु प्राक्कलित राशि पुरानी एवं कम होने के कारण कोई संवेदक बहाल होने को तैयार नहीं है ।

अतः सरकार से वर्तमान महंगाई के अनुरूप प्राक्कलित राशि बढ़ाने की माँग करती हूँ ।

श्री उमाकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिला के छावनी-मैनाटांड मुख्य पथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जोड़ती है, जिससे व्यवसाय एवं आवागमन ज्यादा होता है । उक्त सड़क कम चौड़ी होने से दुर्घटनाएं होती हैं ।

अत: छावनी-मैनाटांड मुख्य पथ का चौड़ीकरण कराने की सरकार से माँग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यपालक सहायकों को 1465 रुपये वेतन मिलता है, जबकि दूसरे विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को 26,000 रुपये से ज्यादा वेतन मिल रहा है ।

अत: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायकों की वेतन वृद्धि की माँग करता हूँ ।

श्री ज्योति देवी : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड मोहनपुर-फतेहपुर पथ में शिलान्यास के बाद भी नेताने नदी पर पुल नहीं बना है । यह पुल एन॰एच॰-2 से एन॰एच॰-82 एवं एन॰एच॰-31 को भी जोड़ेगा ।

अतएव लोकहित में पुल निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है परन्तु नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है । नगर निगम के पार्षद का मानदेय 10 हजार, उप मुख्य पार्षद का 20 हजार, मुख्य पार्षद का 25 हजार बढ़ाने एवं डिप्टी मेयर को नियम संगत अधिकार देने हेतु सदन से माँग करता हूँ ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना मुख्य सोन नहर पर अरवल के गोपाल बिगहा में पुल निर्माण के लिए डी॰पी॰आर॰ तैयार है । जनसंहार वाले गाँव शंकर बिगहा के सामने रूपसागर बिगहा के पास सरकार द्वारा घोषित पुल अभी तक नहीं बना है । गोपाल बिगहा एवं रूपसागर बिगहा के पास पुल निर्माण की माँग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधान सभा अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखण्ड के धर्मपुर मलपट्टी में दलित समाज के मृतक के शव के साथ जुलाई, 2023 में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया । इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग जयनगर डीवीजन के बासोपट्टी प्रखंड की सड़क मंडलटोला पतौना से चिलमिलिया सिरीयापुर पथ तक एवं पाण्डेयटोला गम्हरिया खौना तथा जयनगर के खिरखिरीया टोला कुआढ़ से दुल्लीपट्टी छपराढ़ी पथ

तक एवं परसा ग्राम के पुरव से पश्चिम नहर तक की सड़क जर्जर है, का निर्माण करावें ।

श्री अनिल कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत नौदह पंचायत के गजहरवा गुलरिया घाट पर स्लूईस गेट निर्माण एवं गजहरवा गुलरिया घाट से महादेव पुल तक नहर उड़ाही निर्माण कार्य को जनहित में कराने की सरकार से माँग करता हूँ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत प्रखंड-कोढ़ा के गेड़ाबारी बाजार एन॰एच॰-31 एवं एन॰एच॰-81 के मध्य मुख्य चौक पर प्रत्येक दिन लगातार जाम रहता है । मुख्य चौक पर ट्राफिक पुलिस प्रतिनियुक्ति कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ ।

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर प्रखंड के रोशना में बड़े वाहन के आवागमन से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है । लाभा रोशना पथ के चौड़ीकरण एवं रोशना हाट को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से माँग करती हूँ ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के रायपुर पंचायत में कृषि महाविद्यालय के पास जल निकासी नहीं होने के कारण जल-जमाव हो जाता है, जिससे हजारों एकड़ भूमि के फसल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं ।

अत: मैं उक्त स्थान में चौड़ा नाला निर्माण कराने की माँग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत सुतिहारा से सौतिनियां ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है जो जर्जर है आम आदमी को आने-जाने में कठिनाई होती है ।

अत: सुतिहारा से सौतिनियां सड़क का निर्माण कराने की माँग सरकार से करती हूँ ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी पी॰डी॰एस॰ दुकानदार अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं और गरीबों तक राशन पहुँचा रहे हैं परन्तु उनका मानदेय काफी कम है । सदन से सभी पी॰डी॰एस॰ दुकानदारों को उचित मानदेय देते हुए गोदाम से खाद्यान्न तौल कर डोर स्टेप डिलिवरी के तहत देने की माँग करता हूँ ।

श्री अरूण कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर सरैया रोड में कल्याणी पुल से हरदी बाजार तक जाने वाली रोड काफी जर्जर स्थति में है, जिससे आम जनता को आने-जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ाता है ।

अत: मैं सरकार से उस रोड के निर्माण की माँग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1990 से 2014 तक सेवानिवृत्त दफदारों एवं चौकीदारों के आश्रितों को नियुक्त करने का प्रावधान था परन्तु आवेदन देने के बावजूद 50 प्रतिशत ही नियुक्ति किया गया और प्रावधान बदल दिया गया । पुनः अध्यादेश लाकर शेष बचे आश्रितों को नियुक्त करने की माँग करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण के लौरिया अंचल अंतर्गत नुनियवा टोला, बरवां, बघलोचना, वृति मटियरिया, बंगाली कॉलनी मटियरियां, बसंतपुर बेलवां, धमौरा, वृन्दावन, दलित बस्ती दनियाल परसौना, बारी टोला लक्षनौता व अशोक स्तम्भ को बाढ़ कटाव से सुरक्षित करने के लिए विभागीय कार्रवाई हो, सदन से मैं इसकी माँग करता हूँ ।

टर्न-8/संगीता/01.03.2024

अध्यक्ष : श्री कृष्णनंदन पासवान ।

(व्यवधान)

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट ठहरिए कृष्णनंदन जी । विनय जी, आपका 69 शब्द है, रोज मैं हाउस में कहता हूं, आज पढ़ने नहीं दूंगा, आज अंतिम दिन है...

(व्यवधान)

भाई, सुधार लो न अपने में भईया मेरे...

श्री विनय कुमार : महोदय, आज अंतिम दिन है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरी बात सुनिए न । देखिए, मैं यह क्यों कहता हूं, मुझे क्या आपसे झगड़ा है...

(व्यवधान)

लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुधार कर लीजिएगा तो आपको हर बार मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

आगे से नहीं न करिएगा, तब ठीक है । बोलिए विनय जी ।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में दूध उत्पादन हेतु किसानों और पशुपालकों द्वारा प्रत्येक पंचायत में दूध उत्पादन समिति का गठन किया गया है । दूध संग्रह हेतु समितियां को गाड़ी के माध्यम से जिला दूध संग्रह केन्द्रों में भेजा जाता है । गाड़ी विलम्ब होने के कारण दूध खराब हो जाता है ।

अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक पंचायत में भी दूध संग्रह केन्द्र भवन का निर्माण करवाई जाए ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मोतिहारी-अरेराज SH-54 स्थित मटियरिया पीपल चौक से भाया घींवाढ़ार बाजार, कृत्तपुर पंचायत होते हुए हरसिद्धि, पहाड़पुर प्रखंड के इंगलिस चौक बाजार को जोड़नेवाली 9 किलोमीटर सड़क जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, आवागमन के दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अरूण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पैक्स के चुनाव में हर घर/परिवार से एक मतदाता सदस्य का नाम मतदाता सूची में नामित कराने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मुकदमों में विलंब से गिरफ्तारी एवं कोर्ट से अभियुक्त को तुरंत बेल मिलने से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार में वृद्धि हुई है । सरकार से उक्त मुकदमों में त्वरित गिरफ्तारी एवं ठोस कार्यवाही की मांग करता हूं ।

श्री संजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जीविका दीदीयों के पुराने ऋण माफ करने, कैडरों के प्रखंड स्तर पर 20,000 सी0एल0एफ0 स्तर पर 18,000 भी0ओ0 स्तर पर 16,000 एस0एच0जी0 स्तर पर 14,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान करने तथा इन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्रामपंचायत हांसा के ग्राम लक्ष्मीपुर सेनानी टोला कबीर मठ के पास महादलित टोला, परमानंदपुर महादलित टोला होते हुए परमानंदपुर में विनोद यादव घर के पास गिदवास सिमराहा पीच रोड तक 4 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के मानुल्लहपट्टी पंचायत वार्ड नंबर 13 स्थित गोलहा गांव के लचहा धार में पुल बनाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड रामनगर के जगन्नाथ आदर्श उच्च विद्यालय (+2) बखरी बाजार रामनगर में दिनांक-05.01.2012 को श्री नन्द किशोर प्रसाद की नियुक्ति लेखा शाखा के पद पर हुई थी ।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि श्री प्रसाद का वेतन बकाया भुगतान यथाशीघ्र कराई जाए ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यकर्मियों के भत्ता देने संबंधी वित्त विभाग के पत्रांक-6011 दिनांक-11.08.2023 के आदेशानुसार चम्पारण रेन्ज के बगहा-मोतिहारी पुलिस जिलों में अंगरक्षक के पद पर तैनात आरक्षियों को भत्ता मिलता है । लेकिन उसी रेन्ज के बेतिया पुलिस जिला में नहीं मिल रहा है । उनका भत्ता दिलाया जाय ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के अकबरनगर प्रखंड निवासी नागेन्द्र साह की पुत्री नर्सिंग छात्रा साक्षी कुमारी को दिनांक-22.02.2024 को अपराधियों ने साजिश कर गला दबाकर हत्या कर दिया, जिसका कहलगांव थाना कांड संख्या-134/24 है ।

अतः घटना की उच्चस्तरीय जांचकर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधान सभा के हलहलिया पंचायत में चल रहे पशुवधशाला अलसमीर, जकारिया, मेहरवा एवं अन्य के चलते जलप्रदूषण, वायुप्रदूषण, चर्मरोग एवं दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है । लोगों में भारी आक्रोश है । सभी पशुवधशाला को अविलंब बंद कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, UGC के NAAC Criteria के कारण बिहार में दूरस्थ शिक्षण संस्थानों के बंद होने से संबंधित कर्मियों के भविष्य पर संकट आ गया है ।

बिहार में दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों व निदेशालयों को पुनः प्रारंभ करने, उनके कर्मियों को लंबित वेतन भुगतान तथा संबंधित विश्वविद्यालयों में सामंजन की मांग करता हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के बीच कार्यों के विभाजन को लेकर उत्पन्न विवाद और पंचायतों के अवरूद्ध कार्यों के आलोक में मैं सरकार से पुनः उक्त दोनों पदाधिकारियों के बीच स्पष्ट रूप से कार्यों के विभाजन की मांग करती हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक व मध्य विद्यालय में मिड डे मील अंतर्गत छात्र-छात्राओं को खाना खिलाने वाली रसोइया दीदीयों को मानदेय के रूप में 10 हजार रुपया प्रतिमाह देने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के अनुदानित सभी कोटि के विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी दशकों से लंबित अनुदान की राशि न मिलने से आर्थिक संकट के कारण मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, लंबित अनुदान की राशि को अविलम्ब भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के फेनहारा प्रखंड के हाजी फरजंद हाई स्कूल +2 का भवन पिछले 10 वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । जिससे छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है । मैं जनहित में उक्त विद्यालय का भवन निर्माण करवाने की मांग करता हूं ।

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारण जिलान्तर्गत दरियापुर थाना, भगवान बाजार थाना सहित राज्य के अधिकांश थानों में जब्त गाड़ियों का अम्बार लगा रहता है, जिससे आने-जाने में कठिनाई होती है । सभी जब्त गाड़ियों को किसी अन्यत्र सुरक्षित जगह पर रखने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के आरा, पिरो, जगदीशपुर, शाहपुर बिहिया सहित राज्य के लाखों फुटपाथी दुकानदार सड़क किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं । जाम और सौंदर्यीकरण की आड़ में प्रशासन द्वारा हमेशा उन्हें उजाड़ने का अभियान चलाया जाता है । उनके लिए भेंडिंगजोन और ब्याजमुक्त कर्ज की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मो0 हिफर्जुरहमान, पिता-मो0 अमीर हमजा, ग्राम-सिटानाबाद उत्तरी, जिला-सहरसा के साथ दिनांक-22.02.2024 को गोलू चौधरी, सतीश चौधरी, नीतीश चौधरी एवं सुरेश चौधरी ने धर्मसूचक गाली एवं उनके दाढ़ी-टोपी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया ।

अतः मैं उपरोक्त सभी अभियुक्तों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं ।

टर्न-9/सुरज/01.03.2024

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हरिओ पंचायत के गोविंदपुर मुशहरी और कहारपुर के 573 परिवार का घर सात वर्ष पूर्व ही कोशी नदी से कटाव हुआ था । सभी मुशहर समाज के हैं । आज तक जमीन मुहैया नहीं करायी गयी है ।

जल्द से जल्द विस्थापित परिवार को जमीन मुहैया कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण के एकमात्र श्रम न्यायालय है जोकि मोतिहारी में स्थित है । उक्त न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं रहने से स्थानीय मजदूरों को विलंब से न्याय मिलता है ।

मैं सरकार से श्रम न्यायालय मोतिहारी में नियोजित पीठासीन पदाधिकारी को पदस्थापित करने की मांग करती हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत आर0सी0डी0 रोड कमालपुर से गदक्काचक तक की जर्जर सड़क एवं आर0सी0डी0 रोड से विंदटोला महेश टोला केशोपुर तक की जर्जर सड़क के निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे...

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, एक बड़ा ही संवेदनशील मामला है मौका नहीं है दूसरे फॉर्म में रखें बात को । अभी सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जमाबंदी में जिसका नाम नहीं होगा वह जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा और पेंडिंग में काफी हैं म्यूटेशन के मामले, जमाबंदी के मामले । बेटियों की शादियां रूकी हुई है, बीमारों का ईलाज रूका हुआ है । रजिस्ट्रेशन का मामला 95 फीसद हो गया है । यह मामला विशेष कैम्पेन चलाकर पहले म्यूटेशन करा दिया जाय, म्यूटेशन में ऑलनाईन होने से बड़ी दिक्कत हो रही है...

अध्यक्ष : आपकी बात सरकार के ध्यान में आ गयी है...

श्री अख्तरूल ईमान : सदन का आखरी दिन है, कृपया यह काम करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : बात ध्यान में आ गयी है सरकार के, बैठ जाइये ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री राणा रणधीर, श्री विनोद नारायण झा एवं श्री मुरारी मोहन झा, स0व0स0 से प्राप्त सूचना पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी के द्वारा सूचना पढ़ी गयी है । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि प्राचीनतम देव भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और नयी पीढ़ियों में इसकी जानकारी परिचारित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर

अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा की स्थापना वर्ष 1951 में की गयी है । इस संस्थान में स्थापना काल से ही एम0ए0 संस्कृत, पी0एच0डी0 एवं डी0लिट0 की उपाधि प्रदान की जाती है । यह संस्थान अपने पठन-पाठन एवं संस्कृत भाषा क्षेत्र में उन्नयन कार्य के लिये जानी जाती है । इस संस्थान के द्वारा पांडुलिपियों पर आधारित 75 ग्रंथ तथा शोध पत्रिका 35 खंडों में कुल 135 पुस्तकें एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा चुका है । यह संस्थान क्रियाशील है । राज्य सरकार के समक्ष किसी अन्य संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह...

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं । एक तो मैं जानकारी और कर दूं कि सरकार ने खोला नहीं था, महाराज दरभंगा ने खोला था, 1951 में बाद में सरकार ने अधिगृहित किया था लेकिन सारी पांडुलिपियां जर्जर हालत में है । 75 प्रकाशित हुई हैं जरूर लेकिन करीब 10 हजार पांडुलिपि वहां पड़ी हुई है और उन पांडुलिपियों के रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । कृपया विशेष कार्य योजना बनाकर सरकार पांडुलिपि पर काम करना चाहती है और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो ध्यानाकर्षण है इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत विषय का, संस्कृत भाषा का और संस्कृत पढ़ने वालों का प्रचार-प्रसार उद्देश्य है और इसमें मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड 40-50 साल पहने बनी थी और बनने के बाद उसमें करीब एक हजार विद्यालय को प्रस्वीकृत दी और तनख्वाह भी दे रही है लेकिन 40 वर्ष पहले भूमि और भवनदाताओं ने मकान बना दिया था और सरकार ने उसके ऊपर स्वीकृति दी थी । सारे के सारे भवन ध्वस्त हो गये, भवन कहीं नहीं है । करीब-करीब अधिकांश शिक्षक रिटायर हो गये । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई कार्य योजना है कि संस्कृत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिये जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड बना था उसके शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए और वहां भवन हो जाए । इसकी कोई कार्य योजना सरकार के पास है ?

अध्यक्ष : यह तो आपको अलग से प्रश्न करना पड़ेगा विनोद जी ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष जी, इन्होंने जो...

अध्यक्ष : आपका तो शोध संस्थान पर ही है, उस पर माननीय मंत्री जी अभी कैसे जवाब दे सकते हैं ।

श्री संजय सरावगी : महोदय...

अध्यक्ष : नहीं, अब ध्यानाकर्षण और लोगों का है । अब केवल तीन मिनट समय बचा है ।

श्री संजय सरावगी : बस एक मिनट महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जिस शोध संस्थान की चर्चा हुई है वह मेरे विधान सभा में है, मेरे घर के बगल में है । उसको देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी ने उसका शिलान्यास किया था, बहुत बदतर स्थिति उस शोध संस्थान की है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, इन्होंने भी चर्चा की है कि वहां कई तरह के कार्य हो रहे हैं, पांडुलिपियां हजारों वर्ष पुरानी है...

अध्यक्ष : बैठा जाए...

श्री संजय सरावगी : तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसका कुछ जीर्णोद्धार उस शोध संस्थान का कराना चाहते हैं माननीय मंत्री जी और आग्रह भी करता हूं कि यह बहुत आवश्यक है...

अध्यक्ष : सरकार गंभीर है इस विषय पर । बैठिये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, गंभीर हैं तो जवाब हो जाये माननीय मंत्री जी का ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के घर के बगल में है और माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि संस्कृत ग्रन्थावली सिर्फ भारत में नहीं, अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है । इनको तो जानकारी होनी चाहिये और माननीय झा जी साहब को भी जानकारी होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक बात जो उन्होंने कहा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है । विनोद जी ने कहा है जो पांडुलिपि है वह संरक्षित नहीं हो पायी है, तो जरूर सरकार इस पर ध्यान दे ताकि पुरानी पांडुलिपियां संरक्षित हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विनय कुमार चौधरी एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के जिला मुख्यालयों एवं अन्य शहरों के बाहर से बाईपास द्वारा दो NH है तो उसे जोड़ते हुए मार्ग की प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्णय के आलोक में भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा के अंतर्गत धनुपरा NH30 से चन्दवा NH84 बांध का चौड़ीकरण-उच्चीकरण करते हुए पटना-आरा पथ एवं आरा-बक्सर पथ को जोड़कर भारी गाड़ियों एवं अन्य वाहनों को शहर के बाहर से

मार्ग की उपलब्धता होने से सैंकड़ों गांवों एवं आरा शहर को जाम एवं नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत बाईपास के निर्माण हेतु सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता के अधीन विषयांकित बाईपास की योजना चयनित है । विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन विभाग को प्राप्त है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप बाईपास के निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया, आगे बढ़ते हैं । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह 2014 से आपके समय का यह मामला है सिर्फ आश्वासन मिलता रह गया...

अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं प्राप्त है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : प्राप्त है लेकिन अब कहते हैं कि राशि की उपलब्धता के आधार पर । तो राशि उपलब्ध कौन करवायेगा । राशि उपलब्ध भी करायें, उसको करवा दें...

अध्यक्ष : सरकार गंभीर है इस पर ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : 100, 150, 200 गांव उससे जुड़े हुये हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है और आरा में जाम दिन-रात लगा रहता है, नारकीय स्थिति है उससे मुक्ति मिल पायेगी ।

अध्यक्ष : आप भी जानते हैं कि एन0एच0 से जुड़ा हुआ मामला है तो सरकार इसके बारे में प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजती है, वहां से पैसा आता है तो होता है । सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, गंभीर है सरकार । बैठिये ।

माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल अपनी सूचना को पढ़ें ।

टर्न-10/राहुल/01.03.2024

श्री ललित नारायण मंडल, श्री सुधांशु शेखर एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, गंगोत्री से गंगा निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा इस क्रम में प्रतिदिन अरबों क्यूसेक जल बेकार हो जाता है । यदि भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में गंगा से जल को लिफ्ट कर बांका जिले के हनुमाना डैम से

संचित कर लिया जाय तो सुखाड़ के समय सुल्तानगंज, तारापुर, अमरपुर, बेलहर एवं जमालपुर विधान सभा के लाखों कृषकों को पटवन जल उनके खेत तक पहुंचाकर किसानों के वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिले के चांदन प्रखंड की बदुआ नदी पर बदुआ डैम, हनुमाना डैम निर्मित है । हनुमाना डैम से मुंगेर जिले के संग्रामपुर, तारापुर, असरगंज प्रखंड, बांका जिले के बेलहर, शंभुगंज एवं फुल्लीडूमर प्रखंड तथा भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है । हनुमाना डैम के जल अधिग्रहण क्षेत्र में कम वर्षापात होने की स्थिति में नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने में कठिनाई होती है । अतः गंगा नदी से जल उद्‌वह कर हनुमाना डैम में जल संचय करने के कार्य की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता की जांच की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ललित जी । समय हो गया । जांच की जायेगी ।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, हम माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं । यह पांच विधान सभा क्षेत्रों के भविष्य की बात है ।

अध्यक्ष : ठीक है । सभा सचिव ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि डैम की 30 वर्षों में जल संचय के डाटा के आधार पर आवश्यक जल की मात्रा का आकलन किया जा रहा है । योजना कार्य के व्यय के आधार पर अर्थात लाभ, लागत अनुपात का आकलन कर योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपको धन्यवाद दिया है । सभा सचिव ।

<u>सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना</u>

सभा सचिव : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार कुल 157 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं । सप्तदशः बिहार विधान सभा के एकादश सत्र में प्राप्त याचिकाओं का विवरण :

कुल प्राप्त याचिकाएं	: 157
स्वीकृत याचिकाएं	: 146
अस्वीकृत याचिकाएं	: 11

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11/मुकुल/01.03.2024

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

गैर सरकारी संकल्प

क्रमांक–1 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–2 : श्री लालबाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–3 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–4 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुलारे के ग्राम पथरा में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित भूमि पर करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री कौंसिल में गये हुए हैं, वे आयेंगे तो इसका जवाब दे देंगे ।

क्रमांक–5 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–6 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0

श्री छत्रपति यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया शहर पर यातायात के काफी दबाव को कम करने हेतु खगड़िया में एन0एच0–31 पर अवस्थित गंडक पुल के नजदीक से बखरी रेलवे ढाला के पार पथ निर्माण विभाग की सड़क तक फ्लाई ओवर का निर्माण करावे। ''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया शहर अंतर्गत प्रश्नगत स्थल पर फ्लाईओवर का निर्माण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप फ्लाई ओवर के निर्माण पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, संकल्प तो वापस लिया जायेगा लेकिन माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–7 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0

श्री राम विलास कामत : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला सहित उत्तर बिहार में बाढ़ से बचाव एवं भूमि सिंचाई प्रबंधन हेतु प्रस्तावित कोशी मैचिंग नदी लिंक परियोजना को शीघ्र चालू करने की सिफारिश भारत सरकार से करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोशी मेची अंतरराज्यीय लिंक योजना अंतर्गत सीमांचल क्षेत्र के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले के कुल 21483 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का प्रावधान है । योजना का संशोधित डी0पी0आर0

स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग सी0डब्ल्यू0सी0 भारत सरकार को समर्पित किया गया है । योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । वांछित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम विलास कामत : महोदय, यह परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार ने इसको मान लिया है इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-8 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0</u>

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बाबूबरही विधान सभा के खजौली प्रखण्ड अन्तर्गत कमला सायफन के ऊपर वियरिंग कोट की मरम्मती हेतु अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर अंचल, जयनगर के पत्रांक-490, दिनांक-20.06.2023 के संदर्भ में स्वीकृति देते हुए कार्य प्रारंभ करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला के खजौली प्रखण्ड अंतर्गत पश्चिमी कोशी नहर पर स्थित कमला सायफन के ऊपर वियरिंग कोट की मरम्मती हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । शीघ्र ही निविदा निष्पादन के उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा । अतः मेरा माननीय सदस्या से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती मीना कुमारी : बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–9 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

श्री उमाकांत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत चनपटिया प्रखंड के टिकुलिया चौक से घोघा चौक तक पथ निर्माण विभाग के पथ को चौड़ीकरण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत प्रश्नगत पथांश टिकुलिया चौक से घोघा चौक तक की कुल लम्बाई 7.20 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.05 मीटर है जो ओ0पी0आर0एम0सी0 पैकेज नम्बर 01(ए) के तहत संधारित है । तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता, प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है । अब क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह 6 कि0मी0 का रोड है और 29 पंचायत मझौलिया को जोड़ती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने पूरी बात बता दी है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वीकृति का आदेश लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं, नहीं तो मैं वोटिंग करवाऊंगा, बोलिए ।

श्री उमाकांत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम अपना संकल्प वापस लेंगे । लेकिन माननीय मंत्री महोदय, से आग्रह करेंगे....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–10 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–11 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के सासाराम में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कौंसिल में गये हुए हैं, वे आयेंगे तो इसका जवाब दे देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

क्रमांक–12 : श्री सतीश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–13 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–14 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा शहर के पथ निर्माण विभाग की सड़क बेला मोड़ से लहेरियासराय (वी0आई0पी0 रोड) तक की सड़क का चौड़ीकरण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा शहर अंतर्गत प्रश्नगत बेला मोड़ से लहेरियासराय तक का पथांश एस0एच0–50 का अंश है जिसकी लंबाई 7.076 कि0मी0 है, इस पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी विचार करने वाले हैं । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका केवल संरक्षण चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह पूरा शहर जाम रहता है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कह ही दिया है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री जी को पता नहीं होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको सब पता रहता है । माननीय मंत्री जी सभी चीजों के जानकारी हैं।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बस 10 सकेंड का समय चाहिए । मैं बस जानकारी देना चाहता हूं कि संसाधन की उपलब्धता थी इसीलिए बी0एम0आई0सी0एल0 ने प्राक्कलन बनाकर, विभाग के निर्देश पर प्राक्कलन बनाया, प्राक्कलन बनाने का, डी0पी0आर0 बनाने का टेंडर किया उसके बाद प्राक्कलन बना और डी0पी0आर0 बनकर विभाग में आया हुआ है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभाग के निर्देश पर यह प्राक्कलन बनकर आया हुआ है इसीलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्योंकि यह शहर बहुत जाम रहता है तो क्या मंत्री जी इसको बनवा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले लें, हम उसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री जी आपका आदेश हो गया तो वह हो ही जायेगा, लेकिन आप इसे एक बार दिखवा लीजिएगा । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–15 : श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स0वि0स0</u>

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला के भगवानपुर, महुआ, पातेपुर विधान सभा क्षेत्र होते हुए ताजपुर भाया

समस्तीपुर तक नई रेल लाइन निर्माण कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर, महुआ, पातेपुर विधान सभा क्षेत्र होते हुए ताजपुर भाया समस्तीपुर तक नई रेल लाइन निर्माण कराने हेतु विभागीय पत्रांक-914 (डब्ल्यू0ई0), दिनांक-22.02.2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब तो यह स्वीकृत हो ही गया है । क्या माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

टर्न-12/यानपति/01.03.2024

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

क्रमांक-16 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखण्ड के खैरा चंदा से पछगछिया, देवीगंज होते फरही जानेवाली वर्षों से जर्जर सड़क का पुनर्निमाण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की लंबाई 6.80 कि0मी0 है, जो बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत पचगछिया से खैरा पथ के नाम से स्वीकृत एवं एकरारित है । विगत वर्ष में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि से पथ काफी क्षतिग्रस्त हो गया है, उक्त स्थिति में पूर्व में प्रावधानित प्राक्कलन के अनुसार वर्तमान में कार्य कराना संभव नहीं है । पथ के क्षतिग्रस्त पथांश को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है और तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, यह सड़क है एक्चुअली में.....

अध्यक्ष : वापस लेना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी ने बड़ा साफ-साफ जवाब दिया है, स्पष्ट जवाब दिया है ।

श्री जय प्रकाश यादव : वापस लेंगे, मगर यही बताना चाहते हैं कि विगत दो साल से रिवाइज एस्टीमेट केवल इंजीनियर्स लोग लापरवाही के कारण टेक्निकल स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति संबद्ध, असंबद्ध इंजीनियर्स के पास भेजकर उलझा रहे हैं महोदय ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी बहुत सकारात्मक हैं, अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : सड़क गड्ढानुमा है, इस वित्तीय वर्ष में करवा दें । वापस लेता हूं मैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखण्ड स्थित ग्राम पंचायत - राज खासपुर के मुख्यमंत्री सम्पर्क सड़क योजना के रामचन्द्र पथ के सामने दनैया नाला पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह पथ निर्माण विभाग का है ।

अध्यक्ष : पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफर हुआ है । जवाब आपको मिल जायेगा ।

क्रमांक-17 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-18 : श्री दामोदर रावत, स0वि0स0

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला अन्तर्गत दादपुर बोड़वा आर0सी0डी0 पथ से होकर गुजरने वाली पूर्व मध्य रेलवे के झाझा-किउल रेलखंड पर अवस्थित गुमटी नं0-40 सी/टी पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिलांतर्गत झाझा-किउल रेलखंड पर अवस्थित गुमटी नंबर-40 पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-946 एस0डब्लू0ई0, दिनांक-23.02.2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री दामोदर रावत : धन्यवाद, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-19 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-20 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-21 : श्री कुन्दन कुमार, स0वि0स0

श्री कुन्दन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी स्व0 श्री कृष्ण सिंह जी का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान एवं उनके शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं सामाजिक क्षेत्रों का उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्व0 श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देनेवाले महानुभावों को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अनुशंसा भेजी जाती है । बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न प्रदान किये जाने हेतु सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री कुन्दन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने न केवल आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया बल्कि वो सामाजिक उत्थान के लिये हम सब को मालूम है कि देवघर का मंदिर जिनको अछूत कहा जाता था उनके लिये बंद कर दिया गया था, उसको खुलवाने का काम श्री बाबू ने किया, बिहार में औद्योगीकरण, ठीक है, झारखंड चला गया लेकिन अभी भी बेगूसराय का आई0ओ0सी0एल0, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर इसका जीता-जागता उदाहरण है । एन0एच0-28, एन0एच0-31 उनकी देन और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़नेवाला पहला सिमरिया में पुल बना हुआ वह भी उनकी देन, यह इतना महत्वपूर्ण था महोदय कि नार्थ ईस्ट जाने के लिए, बॉर्डर को जाने के लिये तो इन सारी चीजों के लिये और श्री बाबू के व्यक्तित्व को किसी एक पार्टी में बांधकर नहीं रखा जा सकता है, किसी एक जाति में बांधकर नहीं रखा जा सकता है महोदय और केवल इनको सिफारिश करनी है केंद्र सरकार को तो इनको सिफारिश करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : शकील साहब, कृपया आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत कीजिए । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है लेकिन आगे विचार नहीं होगा ऐसा नहीं कहा है । इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री कुन्दन कुमार : अध्यक्ष महोदय, श्री बाबू के समय बिहार पांच सबसे विकसित राज्यों में आता था जो अभीतक का रिकॉर्ड है । महोदय, यह ऐसा प्रश्न है इसको कैसे वापस ले लें । महोदय, यह ऐसा प्रस्ताव है जिसपर सारे सदन को इसपर सहमति देना चाहिए और मैं वोटिंग की मांग करता हूं कि इसपर आप वोटिंग करा दीजिए ।

अध्यक्ष : मेरा आग्रह होगा वापस ले लीजिए । वोटिंग कराने पर अगर रिजेक्ट होता है तो फिर सरकार विचार नहीं करेगी, लेकिन वापस लेंगे तो सरकार के पास विचार का अवसर बना रहेगा ।

श्री कुन्दन कुमार : अध्यक्ष महोदय, कम से कम आपके माध्यम से आश्वासन हो जाय कि आगे विचार करके प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार को, सिफारिश करेंगे ।

अध्यक्ष : सरकार जब भी किसी के नाम का विचार करेगी तो जरूर इस नाम का विचार करेगी । आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री कुन्दन कुमार : आपकी इस बात के बाद मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-22 : श्री आलोक रंजन, स0वि0स0</u>

श्री आलोक रंजन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सहरसा जिला में शिवपुरी रेलवे फाटक पर घंटों लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आर0ओ0बी0 निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा शहर अंतर्गत शिवपुरी रेलवे फाटक पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक-894 डब्लू/ई दिनांक-21.02.2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है । यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आलोक रंजन : धन्यवाद महोदय ।

टर्न-13/अंजली/01.03.2024

क्रमांक-23 : श्री अरूण कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना के बाजार समिति मोड़ से सैदपुर नहर कंकड़बाग मेन रोड डाबरगली, केन्द्रीय विद्यालय कंकड़बाग रोड नं0-02 का सड़क निर्माण का विस्तृत परियोजना पथ निर्माण विभाग के मुख्यालय में विचाराधीन का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना शहर अंतर्गत प्रश्नगत पथ का अधिग्रहण दिनांक-01.01.2020 को किया गया है । तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता प्राथमिकता के अनुरूप निर्माण पर विचार किया जाएगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण कुमार सिन्हा : धन्यवाद के साथ वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-24 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0

श्री रामप्रवेश राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोरखपुर रेल मंडल के अंतर्गत गोपालगंज जिलांतर्गत बरौली प्रखंड मुख्यालय के रेलवे स्टेशन रतनसराय पर गाड़ी सं0-18579/80 गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एवं गाड़ी सं0-15114/15113 गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की सिफारिश रेल मंत्रालय, भारत सरकार से करें ।'' इसको स्वीकृत करा दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड मुख्यालय के रेलवे स्टेशन रतनसराय पर गाड़ी सं0-165791/80 गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस एवं गाड़ी संख्या-15114/15113 गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव हेतु विभागीय पत्रांक-913 (WE) दिनांक-22.02.2024 तथा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : स्वीकृत हो गया है, वापस लेने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामप्रवेश राय : महोदय, पास करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, स्वीकृत हो गया है बैठिये ।

क्रमांक-25 : श्री मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है, कि वह किशनगंज जिला के कोचाधामन विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड-कोचाधामन, पंचायत-पुरन्दाह के गोपिया टोली से पुरन्दाह नदी पार जाने वाली पथ में कनकई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट गोपिया टोला, जी0टी0एस0एन0वाई0 अंतर्गत निर्मित गोपिया टोला से L069 पथ से एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट पुरन्दाहा गांव को आर0सी0डी0 पथ खूंटीचौक से रौटा बाजार पथ से एकल संपर्कता प्राप्त है । दोहरी संपर्कता का मामला होने के कारण संप्रति अभिस्तावित पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, एक गुजारिश है कि यह गांव इस पार से उस पार जाने के लिए सिर्फ डेढ़ और दो किलोमीटर की दूरी है लेकिन इधर से जाने से 15 से 20 किलोमीटर और बैसा, अमौर होकर आने से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जिसमें कई गांव बहुत गोपिया टोली, मेंहदीपुर, लोखरिया, रौटा वगैरह...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद इजहार असफी : हाँ, वापस लेना चाहते हैं, लेकिन माननीय महोदय से अनुरोध है...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार । इन्होंने माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी को अधिकृत किया है । आप बोलिए ।

क्रमांक–26 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड अरियरी में ग्राम कोयन्दा एवं ग्राम अकबरपुर के बीच कोरिहारी नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ कोयन्दा ग्राम अवस्थित है जिसकी संपर्कता कोयन्दा मोड़ से कोयन्दा तक पथ से प्राप्त है, जिसकी मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत स्वीकृतिपरांत निविदा निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । तत्पश्चात् पथ की मरम्मती कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा एवं दूसरी तरफ अकबरपुर ग्राम अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत L067, L021 से अकबरपुर तक पथ से प्राप्त है । विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । संप्रति के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी महोदय, वापस लेना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–27: श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भवन निर्माण विभाग द्वारा बिहार पुलिस एसोसिएशन के केन्द्रीय कार्यालय, 2 सरदार पटेल मार्ग (मैंग्लस रोड), पटना की भूमि बिहार पुलिस एसोसिएशन को आवंटित/ स्वामित्व दिलाते हुए बिहार के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों से आये पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के सुरक्षित आवासन हेतु अतिथि गृह का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जब सदन में आयेंगे तब होगा ।

क्रमांक-28 : श्री शंम्भू नाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन । जनाब, अपना संकल्प पढ़िए ।

क्रमांक-29 : श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, स0वि0स0

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद में रफीगंज विधान सभा के रफीगंज में बाई पास नहीं रहने से प्रतिदिन जाम के निदान हेतु सर्वे हो चुका है, इसे बनवाकर जाम से निजात दिलवाए ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ शिवगंज, रफीगंज, बैदराबाद पथ के किलोमीटर 19वां से 23वां तक में बाईपास का निर्माण तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जाएगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिए, कितना बढ़िया जवाब मिला है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : एक मिनट महोदय, आपका संरक्षण चाहेंगे ।

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : हम लेंगे, लेकिन मगर...

अध्यक्ष : लेंगे । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : हुजूर मेरी बात नहीं सुन लिया जाय । सिर्फ एक बात ।

अध्यक्ष : ठीक है बोलिए ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, वह इतना इंपोर्टेंट बाईपास है कि जी0टी0 रोड से मिलाती है और दो-दो, तीन-तीन प्रखंड को मिलाती है और बहुत बड़ा वहां पर क्वेरी है पहाड़ का हजारों गाड़ियां डेली गुजरती हैं उससे और प्रतिदिन जाम की स्थिति रहती है, इसलिए जल्द से जल्द माननीय मंत्री से हम आग्रह करेंगे कि इसको बनवा दें । प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गोपाली चौक से गोला रोड होते हुए गांगी पुल तक फ्लाई ओवर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल 9 गोपालीचौक से गोला रोड होते हुए गांगी पुल तक फ्लाई ओवर निर्माण की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है । तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता के आलोक में फ्लाई ओवर के निर्माण पर विचार किया जाएगा । महोदय, ऐसे इनको हम दें कि ये 900 मीटर लंबा है और 70 करोड़ की अनुमानित लागत है तो विचार किया जाएगा, जब संसाधन उपलब्ध होगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है और संभावना बनी हुई है । माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, यह विचाराधीन नहीं है, मुझे लगता है इसकी जानकारी अधिकारियों ने माननीय मंत्री महोदय को नहीं दी है । मेरे पास पत्र है, माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर जब निकले थे, उस समय समीक्षा बैठक में उन्होंने इस को आश्वासन दिया और उसके अनुरूप वहां पर उसकी नापी जो हुई है ।

अध्यक्ष : लंबाई-चौड़ाई बता तो रहे हैं माननीय मंत्री जी, जानकारी है उनको ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : तो विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : हाँ, तो क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : विचाराधीन नहीं है कहा गया है ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अगर राशि...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बहुत सकारात्मक जवाब दे रहे हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, भरोसा है । प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-14/आजाद/01.03.2024

क्रमांक-31 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अन्तर्गत पंचायत खास टभका के नोनिया टोल, वार्ड संख्या-10 एवं वार्ड संख्या 01 (ग्राम पछियारी टभका) के बीच बैती नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित खास तबका के नोनिया टोला वार्ड संख्या-10 को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु छूटे हुए बसावट के तहत विभागीय ऐप द्वारा सर्वे करा लिया गया है, जिसका सर्वे आई0डी0-32325 है । तदनुसार समीक्षोपरान्त प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा एवं दूसरे तरफ अवस्थित वार्ड संख्या-1 ग्राम पछियारी टभका की सम्पर्कता पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित दलसिंहसराय शाहपुर आर0सी0डी0 से प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के अपरस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी पर पुल शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृति उपरान्त निविदा निष्पादित की प्रक्रिया में है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता किया जाना है । सम्प्रति इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजय कुमार : वापस तो लेंगे ही, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है । लेकिन आग्रह है कि इसको बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-32 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिलान्तर्गत हरौली सुलीस गेट से दौलतपुर चाँदी अररा पहेंतिया हाजीपुर होते हुए महनार के विलट चौक तक बहने वाली नहर जिससे जल निकासी का साधन है जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसका जीर्णोद्धार करावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत हरौली सुलिस गेट से ग्राम दौलतपुर चाँदी अररा पहेंतिया हाजीपुर होते हुए महनार के विलट चौक तक जननिस्सरण नाला है, जो मलाह नाला के नाम से जानी जाती है । इस नाला की कुल लम्बाई 31.07 कि0मी0 विलट चौक से पहले ग्राम मंधौल प्रखंड देसरी के निकट खाखड़ा ट्रंक चैनल से मिल जाती है । प्रश्नगत नाले की जीर्णोद्धार कार्य बाढ़ 2023 के पूर्व हाजीपुर एवं विदुपुर प्रखंड के कुछ रीच में मनरेगा द्वारा कराया गया है, शेष रीचों में जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, जलनिस्सरण प्रमंडल, हाजीपुर के पत्रांक-159 दिनांक 27.02.2024 के द्वारा उप विकास आयुक्त, वैशाली को अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अवधेश सिंह : बस आग्रह करते हुए सर, यही एक जलनिकासी का श्रोत है हमारे यहां और यह अतिक्रमित हो रहा है । इसलिए यह आग्रह करते हुए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-33 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-34 : श्री सिद्धार्थ सौरव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-35 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–36 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड अन्तर्गत रून्नीसैदपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नं0–02 रकसीया ग्राम के निकट बागमती नदी में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट की तकनीकी समीक्षोपरान्त एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पंकज कुमार मिश्रा : सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में कम से कम चार बार अभी तक कर चुके हैं, मगर अभी तक नहीं हो सका है । मैं बार–बार कर रहा हूँ तो माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको करवा दें, हम संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–37 : श्री राम सिंह, स0वि0स0

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा पुलिस जिला को मुख्यालय से गांव की दूरी को ध्यान में रखते हुए जनहित में बगहा को राजस्व जिला बनावे । ''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुर्नगठन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या–223 दिनांक 12.02.2021 द्वारा मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या–590 दिनांक 27.04.2016 द्वारा पूर्व से सचिवों की समिति गठित है । सचिवों के समिति की बैठक दिनांक 08.02.2017 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों के समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु विभागीय पत्रांक संख्या–1287 दिनांक 03.02.2017, 2813 दिनांक 07.03.2017, 4603 दिनांक 19.04.2017, 7501 दिनांक 19.06.2017 एवं 9800 दिनांक 24.07.2018 द्वारा

जिलों के भीतर प्रखंड, अंचल, थाना के सीमाओं में सुधार एवं निकट के जिलों के साथ जिलों के सीमाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : बड़े विस्तार से माननीय मंत्री जी ने पूरी स्थिति से अवगत कराया है । इसलिए क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहूंगा, चूँकि 2005 से ही जब उस जिला का माननीय नीतीश जी का दौरा शुरू हुआ, तब से वे कहते रहे हैं कि जिला बनेगा और आज 18 साल बीत गया .....

अध्यक्ष : विनय जी, कृपया मत टोकिए न, उनको बोलने दीजिए न ।

श्री राम सिंह : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी परिवर्तन यात्रा में गये थे, तब से वे कहते आये हैं और आश्वासन देते आये हैं । मैं 2020 में चुनाव जीत कर आया हूँ, 2020 से मैं हमेशा इसके बारे में आवाज उठाया हूँ और बार-बार यहां पर आश्वासन मिलता है। छोटा परिवार-सुखी परिवार, छोटा प्रदेश-सुखी प्रदेश .....

अध्यक्ष : यह आप कहां से सीख लिये ?

श्री राम सिंह : महोदय, आपके माध्यम से मैं आश्वासन चाहता हूँ कि यह इस वित्तीय वर्ष में यह काम हो जाय ।

अध्यक्ष : बैठिए । माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया है और आप भी जानते हैं कि बिहार में केवल आपका बगहा ही जिला बनाने का प्रस्ताव नहीं है, कई जगह से प्रस्ताव आये हैं, कुछ जगह से जिला बनाने का, कुछ जगहों से अनुमंडल बनाने का, कुछ जगह से ब्लॉक बनाने का, जो सरकार ने कुछ कमिटी बनायी है, सेक्रेटरी की कमिटी बनायी है, पहले मंत्री की भी कमिटी थी, वह अभी विचाराधीन है । इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने इन्कार नहीं किया है ।

श्री राम सिंह : मैंने वापस लिया लेकिन इस बारे में बहुत पहले से सुन रहा हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–38 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड –दरियापुर के हर दिया चवर से ग्राम–इंगलिश, वाखे, खजुहाता, दरिहारा, सरन रायण, मनपुरा, टरवा, भढककरा होते हुए दरियापुर नहर से गंडक नदी में जल निकासी हेतु नहर का सफाई करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत दरियापुर प्रखण्ड के प्रश्नगत ग्राम–हरदिया चवर के क्षेत्र में अवस्थित है । इस क्षेत्र की जल निकासी मिहोरा नदी जलनिस्सरण नाला के माध्यम से होती है । वस्तुतः मिहोरा नदी की एक धार दरियापुर नहर के रूप में सारण तटबंध 8.00 कि0मी0 पर अवस्थित एंटी फ्लड सुलिस गेट के माध्यम से प्रवाहित होते हुए गंडक नदी में मिल जाती है । प्रश्नगत दरियापुर नहर आंशिक गाद जमने के कारण जल निकासी प्रभावित होती है । मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जलनिस्सरण, गोपालगंज से एक माह के अन्दर सर्वेक्षणोपरान्त उक्त क्षेत्र से जल निकासी हेतु तकनीकी संभाव्यता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : जवाब सकारात्मक है । क्या माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री छोटे लाल राय : सर, लेना चाहते हैं लेकिन कुछ उसमें बोलना हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न–15/पुलकित/01.03.2024

क्रमांक–39 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में व्यवसाय एवं व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री काउंसिल में है ।

अध्यक्ष : बाद में होगा ।

क्रमांक-40 : श्री भरत बिन्द, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-41 : श्री राम नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के बांका प्रखंड स्थित लकड़ीकोला में सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला निकटवर्ती जिलों में था, भागलपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भारत सरकार संचालित है । जमुई जिला में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माणाधीन है तथा मुंगेर में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की योजना स्वीकृत है । उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान बांका जिला के बांका प्रखंड के लकड़ीकोला में सरकारी जमीन पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, यह बांका जिला झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर अवस्थित है और सबसे पिछड़ा जिला है । इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि वहां मेडिकल होगा क्योंकि यह जिला चारों तरफ से झारखंड और बिहार से घिरा हुआ है । इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां मेडिकल कॉलेज बने और मैंने जमीन की भी व्यवस्था की है, हमने सरकार की 25 एकड़ जमीन रखवा दी है इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्नोत्तर काल में यहां बैठे थे । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ कहा है और आपने सुना है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राम नारायण मंडल : आपका आदेश है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–42 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखण्ड के पूर्वी क्षेत्र के 09 पंचायतों को सन्निहित कर सनोखर को नया प्रखण्ड बनावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी भागलपुर से सन्हौला प्रखण्ड के सनोखर को नए प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रखंड सृजन के औचित्य सहित स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयोग के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । प्रमंडलीय आयोग से अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब पॉजिटिव है क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार यादव : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–43 : श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधुबनी के थाना राजनगर 27 पंचायतों के राजनगर थाना के रामपट्टी बाजार में एक थाना की स्थापना करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत रामपट्टी बाजार स्थित थाना राजनगर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । थाना से रामपट्टी बाजार तक आवागमन हेतु राजकीय सड़क मार्ग उपलब्ध है । रामपट्टी बाजार अंतर्गत विगत पांच वर्षों में वर्ष 2019 से 2023 तक हत्या के तीन कांड, लूट के दो कांड, चोरी के तीन कांड, गृह भेदन का दो कांड, अपहरण का एक कांड एवं विभिन्न प्रकार के 127 कांड प्रतिवेदित हुए हैं । उक्त अपराध कांड आंकड़ों का स्पष्ट

है कि वर्तमान में रामपट्टी बाजार में विधि व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति सामान्य है। वर्तमान में रामपट्टी में थाना, ओ0पी0 सृजन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं । मधुबनी से 08 किलोमीटर की दूरी है और राजनगर से 15 किलोमीटर । इस बीच में बराबर रोड रॉबरी होती है । थाना नहीं बने तो कम से कम एक ओ0पी0 यहां बना दिया जाए । यह मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्षः सरकार ने आपकी बात सुनी । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–44 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0</u>

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला में एम्स की शाखा खोलने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में एम्स की स्थापना का निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाता है । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णयानुसार फिलहाल दरभंगा में द्वितीय एम्स का निर्माण प्रस्तावित है । उल्लेखनीय है कि पूर्णिया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

सरकार ने स्थिति बड़ी स्पष्ट की है । आप भी जानते हैं कि एम्स का निर्णय कैसे होता है । अभी तक राज्यों में एक–एक एम्स था, पहली बार बिहार में दो हो रहा है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, अपना संकल्प वापस ले रहे हैं लेकिन एक आग्रह करेंगे कि कम से कम सरकार सिफारिश करें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-45 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-46 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-47 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत प्राणपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड आजमनगर में अवस्थित बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, पर्यटन विभाग, बिहार में अवस्थित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कृत संकल्पित है । पयर्टन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में 01 करोड़ 23 लाख 69 हजार रुपये की राशि से कटिहार जिलान्तर्गत गोरखनाथ धाम मंदिर का विकास किया गया है । इस योजना के अंतर्गत पब्लिक कन्वेंशन, पाथ-वे, पार्किंग, साईट का विकास, घाट इत्यादि कार्य कराया गया है । पयर्टन विभाग द्वारा किसी स्थल मंदिर को पयर्टन का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि आने वाले पर्यटकों के लिए पयर्टन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : बड़ा पॉजिटिव जवाब है, अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती निशा सिंह : महोदय, भाई साहब से बस एक ही अनुरोध यही है कि उसको और सुंदर बनाने का आप विचार रखिये ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : महोदय, मैं दिखवा लेता हूँ और जो शेष काम होगा, अगले वित्तीय वर्ष में करवा देंगे ।

श्रीमती निशा सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

क्रमांक–80 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी के क्रमांक– 80 का जवाब आया है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को ट्रान्सफर हो गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसका निर्णय बाद में करेंगे ।

क्रमांक–48 : श्री चन्द्रहास चौपाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–49 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत दाउदनगर नगर परिषद अंतर्गत दाउदनगर में मेन रोड मौलाबाग से पासवान चौक होते हुए भूतनाथ मंदिर (काली मंदिर) तक जाने वाली सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री प्रेम कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपरिषद दाउदनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संकल्प में वर्णित योजना की महत्ता को देखते हुए आगामी सामान्य बोर्ड की बैठक में संदर्भित योजना के प्रस्ताव को बोर्ड के विचार रखा जाएगा । बोर्ड के निर्णय के आलोक में योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : बहुत सकारात्मक जवाब है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–50 : श्री संजीव चौरसिया, स0वि0स0

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दीघा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बाबा चौक, इन्द्रपुरी रवि चौक से राजापुर होते हुए आनंदपुरी नाला तक सड़क के बगल से एक खुला नाला को पाटकर नाला के किनारे एक संकरी सड़क है जो पटेल नगर बाबा चौक से रवि चौक होते हुए अटल पथ को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करावे ।''

टर्न-16/अभिनीत/01.03.2024

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना शहर अंतर्गत प्रश्नगत नाला सहित पथांश के निर्माण हेतु अधिग्रहण किया गया था परंतु 2020-21 में अतिवृष्टि के कारण जल-जमाव के परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा नाला को कवर करने पर रोक लगा दी गयी है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से यही कहना चाहेंगे कि नगर विकास की योजना चल रही है, इसको नगर विकास में ट्रांसफर कर दिया जाय । उस योजना के स्टीमेट बनने को, स्मार्ट सिटी से बनने की तैयारी थी, पहले स्टीमेट भी बना था पर किसी कारणवश नहीं बन पाया था, तो नगर विकास के अंतर्गत इस योजना के बारे में, उसको ट्रांसफर करने का आग्रह है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जरूर इस पर विचार करेंगे ।

क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-51 : श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0</u>

श्री प्रणव कुमार : महोदय, ''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुंगेर जिलांतर्गत विश्व प्रसिद्ध योग विश्वविद्यालय एवं आनंद मार्ग का वैश्विक मुख्यालय, मल्टीनेशनल कंपनी आई0टी0आई0, रेल कारखाना एवं पर्यटन स्थल को ध्यान में रखते हुए मुंगेर के बरियारपुर या नौवागड़ी में उपलब्ध जमीन पर हवाई अड्डा स्थापित किये जाने हेतु नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर हवाई अड्डा के रनवे की लंबाई 2200 फीट है जो व्यावसायिक उड़ान के लिए अपर्याप्त है । पटना से मुंगेर की दूरी 178 कि0मी0 है एवं पटना से मुंगेर राजकीय मार्ग से जुड़ा हुआ है । साथ ही, मुंगेर से भागलपुर की दूरी 61 कि0मी0 है । भागलपुर क्षेत्रीय उड़ान योजनांतर्गत, उड्डयन के अंतर्गत शामिल है । किसी भी हवाई अड्डा को व्यावसायिक हवाई सेवा हेतु विकसित करने का निर्णय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मैं कुछ बात रखते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–52 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0</u>

श्री शकील अहमद खाँ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलांतर्गत कदवा प्रखंड के मीनापुर तथा झौआ में पथ निर्माण विभाग के पथ पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलांतर्गत कदवा प्रखंड के मीनापुर तथा झौआ में पथ निर्माण विभाग के पथ पर रेलवे बोर्ड के प्रासंगिक पथ के प्रावधान अंतर्गत सड़क ऊपरी पुल, आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक– 965/एस0डब्लू0, दिनांक– 23.02.2024 द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव, गुवाहाटी, असम से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : चलिए, स्वीकृत हो गया ।

श्री शकील अहमद खाँ : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बोलना नहीं है । आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

क्रमांक-53 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह देश के सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रीन फील्ड नीति के तहत भागलपुर से हवाई सेवा शुरू किये जाने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की नई सिविल एविएशन पॉलिसी, 2016 के अंतर्गत रीजनल कनेक्टिविटी के तहत राज्य सरकार द्वारा भागलपुर हवाई अड्डा को भी सम्मिलित किया गया है परंतु किसी भी उड़ान कंपनी द्वारा बीडिंग नहीं किया गया है । भागलपुर बिहार सरकार के अधीन हवाई अड्डा की लंबाई 3500 फीट है जो बड़े व्यावसायिक विमान के लिए अपर्याप्त है । किसी भी हवाई अड्डा से व्यावसायिक हवाई सेवा हेतु विकसित करने का निर्णय नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, प्लीज । यह जो है भारत सरकार को केवल सिफारिश करना है, तो आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजेश कुमार : कई बार इसका है, तो..

अध्यक्ष : क्या आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजेश कुमार : भारत सरकार को इसकी सिफारिश भेज दीजिए सर । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–54 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0

डॉ0 सी0एन0 गुप्ता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलांतर्गत छपरा नगर निगम के वार्ड नं0–13 में पुराने चिराईघर के पास रेलवे के दूसरे तरफ जो बिन्द टोलिया के तरफ उतरती है उस रास्ते में रेलवे का फ्लाई ओवर का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलांतर्गत छपरा नगर निगम के वार्ड नं0–13 में पुराने चिराईघर के पास आर0ओ0बी0 के निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक– 961/एस0डब्लू0, दिनांक– 23.02.2024 द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–55 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिमरी से बस्तवारा, माधोपुर, बनौली, पंचोभ, तारालाही होते हुए एकमी घाट तक नहर निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिमरी के बस्तवारा, माधोपुर, पंचोभ, तारालाही होते हुए एकमी घाट तक नहर निर्माण के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिमरी से बस्तवारा, माधोपुर, पंचोभ, तारालाही जल–जमाव से प्रभावित क्षेत्र है । अतएव प्रथम दृष्टया सिंचाई हेतु नहर प्रणाली निर्माण के लिए यह क्षेत्र तकनीकी, आर्थिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है अभी उसकी दृष्टि से । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, एक बात हम बोलना चाहते हैं । हमारा एक तो दरभंगा जिला पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित रहता है और हमारा क्षेत्र जो है केवटी विधान सभा, खासकर महोदय सिमरी वाला इलाका जो है यह सब और प्रभावित रहता है । काफी हाहाकार रहता है बरसात के समय में, इसलिए महोदय हम आग्रह करना चाहेंगे मंत्री महोदय से कि इस पर विचार करे और इस बजट में अगर हो जाये तो बहुत अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री मुरारी मोहन झा : संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-56 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0</u>

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नरकटियागंज नगर परिषद् मुख्यालय शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु भाड़ी वाहनों के आवागमन के लिए बाय पास सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिलांतर्गत प्रश्नगत पथ बेतिया-चनपट्टिया-नरकटियागंज पथ एस0एच0-105 के कि0मी0 शून्य से 35.7 तक 10 मीटर चौड़ीकरण का कार्य बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है । चौड़ीकरण हो जाने से जाम की समस्या से निजात मिल जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : बहुत सकारात्मक जवाब माननीय मंत्रीजी ने दिया है । वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : जी महोदय, बहुत गंभीर समस्या है । कितना भी चौड़ीकरण होगा जो रास्ता है, यहां पर बताया जा रहा है...

..क्रमशः..

टर्न-17/हेमन्त/01.03.2024

श्रीमती रश्मि वर्मा(क्रमशः) : किसी भी कीमत पर उससे इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है । यहां पर बाईपास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । महोदय, मैं अनुरोध करूंगी कि एक बाईपास, चूंकि वहां चीनी मिल है और आठ महीने से नौ महीने तक लगातार मिल जाम रहता है और कॉलेज है..

अध्यक्ष : सरकार के ध्यान में विषय है । इसलिए सरकार उस काम को करवा भी रही है । आप जो कह रही हैं, वह भी सरकार के ध्यान में आ गया है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : लगभग पांच लाख बच्चों का वहां पर स्कूल, कॉलेज..

अध्यक्ष : क्या आप संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : जी । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-57 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-58 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-59 : श्रीमती शालिनी मिश्रा, स0वि0स0

अध्यक्ष : पंकज जी ।

श्री पंकज कुमार मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण से पूर्वी चम्पारण को जोड़ने वाले सत्तरघाट पुल का एप्रोच रोड जो बाढ़ के समय दो जगहों से कटे सड़क का पुनर्निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण को पूर्वी चम्पारण को जोड़ने वाले सत्तरघाट पुल का एप्रोच पथ, जो बाढ़ के समय दो जगहों से कट

गया था, का निर्माण कार्य प्रगति पर है । शेष कार्य जून, 2024 तक करने का लक्ष्य है।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पंकज कुमार मिश्रा : धन्यवाद मंत्री जी को । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-60 : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, स0वि0स0

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिला के कटोरिया प्रखंड अंतर्गत भोरसार भेलवा पंचायत में उदालखुट एवं तसरिया गांव के बीच नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल के निर्माण हेतु टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तकनीकी समीक्षोपरांत एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा ।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्या से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ?

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : जी, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना संकल्प वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-61 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लालगंज-मानपुर जतकौली का जीर्णशीर्ण पथ का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ लालगंज-मानपुर जतकौली पथ ग्रामीण कार्य विभाग से नवअधिग्रहित पथ है । पथ की कुल लम्बाई 14.15 किलोमीटर है । तकनीकी संभाव्यता, संसाधन की उपलब्धता, प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सिद्धार्थ पटेल : सर, इसमें आपका संरक्षण चाहिए । इस पर मैं कहना चाहता हूं..

अध्यक्ष : सरकार तो कह रही है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : इसके पहले इस पर सरकार के द्वारा ही काम हुआ था । ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को गये हुए आठ वर्ष हो गये हैं और तत्कालीन मंत्री श्री नितिन नवीन जी ने उस पर चालीस लाख रुपया इसके जीर्णोद्धार के लिए, पैचिंग के लिए दिया था और इसका दो वर्ष पहले टेंडर हो गया था और इसमें एक ठेकेदार को निविदा भी मिल गयी थी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री दिखवा लेंगे उसको । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, उक्त पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 8903, दिनांक 24.12.2018 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल हाजीपुर से दिनांक 09.07.2019 को हस्तांतरित हुआ । पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4868, दिनांक 27.08.2020 द्वारा इस पथ के उन्नयन कार्य हेतु कुल 596 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उपभागीय पत्रांक 2009, दिनांक- 09.09.2020 द्वारा 6121.23 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके आलोक में निविदा आमंत्रित की गयी, जो अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जा चुका है । विषयगत योजना का पुनरीक्षण प्राक्कलन पर स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सब जानते हैं आप, तब क्यों संकल्प देते हैं ? क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सिद्धार्थ पटेल : जी, संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-62 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर स्थित एन0टी0पी0सी0 की दोनों इकाइयों बी0आर0बी0सी0एल0 एवं एन0टी0पी0सी0 में हो रहे कम गुणवत्ता वाले घटिया कोयले की आपूर्ति की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं उससे उत्पन्न प्रदूषण के कारण जनता की कठिनाई को दूर करने हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसके लिए भारत सरकार को सिफारिश कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया अब तो । आप जो चाहते हैं सरकार ने तो कहा ही । अब इसके बाद क्या बचता है ?

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : बस एक बात हम संज्ञान में डालना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव ही स्वीकृत हो गया, तो बात क्या बचती है ?

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दो ही केवल एन0टी0पी0सी0 का मामला नहीं है, पूरे बिहार के अंदर जितना एन0टी0पी0सी0 हैं, जो कोयला आ रहा है उसमें 25 प्रतिशत कोयला खराब आपूर्ति किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव ही स्वीकृत हो गया तो क्या बहस करेंगे ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-63 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के काको प्रखंड अन्तर्गत मोगल बिगहा गांव के पास दरधा नदी में ग्रामीण कार्य विभाग पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल की स्वीकृति राज्य योजना नाबार्ड अन्तर्गत प्राप्त है । स्वीकृत प्राक्कलन में पुल के एक तरफ 50 मीटर एवं दूसरी तरफ 150 मीटर पहुंच पथ का प्रावधान समाहित है । अभिस्तावित पुल के एक तरफ का एप्रोच जहानाबाद जिला एवं दूसरी तरफ का एप्रोच पटना जिला के मसौढ़ी प्रखण्ड अन्तर्गत पड़ता है । मसौढ़ी प्रखण्ड अन्तर्गत पड़ने वाले एप्रोच पथ की भूमि को सतत लीज पर लेने की कार्रवाई की जा रही है । जहानाबाद की तरफ जुड़ने वाले का निर्माण कार्य रैयतदार से वार्ता कर किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् शेष बचे हुए पुल एवं एप्रोच कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब इतना सकारात्मक है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, थोड़ी सी बात है ।

अध्यक्ष : अब इसमें क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, यह दो एन0एच0 को जोड़ने वाली और दो जिला को जोड़ने वाली सड़क है ।

अध्यक्ष : सरकार तो कर ही रही है ।

श्री रामबली सिंह यादव : पुल अभिकर्ता पांच साल से बना रहा है धीमी गति से । एक तो हम कहेंगे कि अगर जरूरत है, तो अभिकर्ता बदला जाय । दूसरा, जिस जमीन की बात की जा रही है, मात्र दो कट्ठा निजी जमीन एक व्यक्ति की उसमें जा रही है और वह जमीन उस कर्मचारी ने लिखकर मसौढ़ी अंचलाधिकारी को बहुत पहले दे चुका है, लेकिन वह उसकी रिपोर्ट नहीं दे रहा है जिसके कारण यह रिपोर्टें आ रही हैं ।

महोदय, तो हम आग्रह करेंगे कि वह बहुत महत्वपूर्ण है, दो एनएच को जोड़ने वाला है, दो जिला को जोड़ने वाला है ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : शीघ्र निर्माण कराया जाय और लापरवाह अभिकर्ता पर कार्रवाई करते हुए नया अभिकर्ता बनाया जाय ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रामबली सिंह यादव : और इस आग्रह के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-64 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरूआ बाजार से बैजूधाम होते हुए दरियापुर तक सड़क का चौड़ीकरण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ गुरूआ बाजार से बैजूधाम होते हुए दरियापुर तक पथ की कुल लम्बाई 10.825 किलोमीटर है जिसके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कार्य सेन्ट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत प्रस्तावित है । स्वीकृति प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार : जी, अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : कर तो रही है सरकार । स्वीकृत भी है ।

श्री विनय कुमार : महोदय, खाली बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक जवाब के परिप्रेक्ष्य में संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार : महोदय, जल्द निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय कुमार : जी, जरूर वापस लेंगे महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-18/धिरेन्द्र/01.03.2024

क्रमांक-65 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स॰वि॰स॰

श्री संतोष कुमार मिश्र : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के करगहर विधान सभा क्षेत्र अंतर्ग प्रखंड कोचस के सासाराम चौसा पथ से सावनडिहरी पी॰एम॰जी॰ए॰वाई॰ पथ में सतसां के पास क्षतिग्रस्त पुल के बदले नए पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह तो पथ निर्माण से है.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये । सरकार को बोलने दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ योजना अंतर्गत निर्मित सासाराम-चौसा सड़क से सावनडिहरी पथ के आरेखन पर स्थित है । पथ वर्तमान में पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के बाहर है, जिसे सर्वे में एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ अंतर्गत किया गया है, जिसमें क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का प्रावधान समाहित है । समीक्षोपरांत निधि एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : सरकार के सकारात्मक....

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को....

अध्यक्ष : सकारात्मक जवाब के आलोक में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री संतोष कुमार मिश्र : महोदय, वह तो लेंगे ही लेकिन एक बात कह देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–66 : श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानदारों को प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उक्त मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुदामा प्रसाद : जी महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–67 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स०

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन से लेकर सीतामढ़ी तक भाया बासोपट्टी होते हुए रेलमार्ग स्थापित कर रेल परिचालन करने हेतु राज्य सरकार भारत सरकार के रेल मंत्रालय को अनुशंसा करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन से लेकर सीतामढ़ी तक भाया बासोपट्टी होते हुए रेलमार्ग स्थापित कर रेल परिचालन कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–1144, दिनांक–21.02.2024 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : स्वीकृत हो गया, तब क्या बोलना ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं ।

क्रमांक-68 : श्री विनय बिहारी, स०वि०स०

श्री विनय बिहारी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला के लौरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत योगापट्टी प्रखंड के नवसृजित नगर पंचायत मच्छरगांवा को अनुमंडल बनावे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल के पुनर्गठन हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-223, दिनांक-12.02.2021 द्वारा मंत्रियों के समूह का गठन माननीय उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है । साथ ही, मंत्रियों के समूह के समक्ष प्रस्ताव रखने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या-590, दिनांक-27.04.2016 द्वारा पूर्व से सचिवों की समिति गठित है । सचिवों की समिति की बैठक दिनांक-08.02.2017 में लिये गए निर्णय के आलोक में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाना है । प्रस्ताव भेजने हेतु विभागीय पत्रांक-1287, दिनांक-03.02.2017, पत्रांक-2813, दिनांक-07.03.2017, पत्रांक-4603, दिनांक-19.04.2017, पत्रांक-7501, दिनांक-19.06.2017 एवं पत्रांक-9800, दिनांक-24.07.2018 द्वारा जिलों के भीतर प्रखंड, अंचल एवं थाना की सीमाओं में सुधार और निकट के जिलों के साथ जिलों की सीमाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भेजने हेतु सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया है । इस प्रकार पश्चिमी चम्पारण जिला के नगर पंचायत मच्छरगांवा को अनुमंडल बनाने हेतु उक्त विहित रीति से जिला पदाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, मालूम था कि यही मिलेगा लेकिन.....

अध्यक्ष : क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति बोल कर खत्म करूंगा ।

दिल दिया मेरे प्यार की हद थी,
जान दिया एतवार की हद थी ।
मर गए हम खुली रही आँखें,
ये मेरे भी इंतजार की हद थी ।।

महताब को भरोसा है अफताब कभी आयेगा और इस प्रश्न का जवाब भी रंग लायेगा ।

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विनय बिहारी : महोदय, वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-69 : श्री सुधाकर सिंह, स०वि०स०</u>

श्री सुधाकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जैसे कृषि आधारित आर्थिक रूप से कमजोर राज्य एवं किसानों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शी तरीके से अधिग्रहण हेतु बिहार राज्य में 'एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (मंडी कानून)' को पुनः बहाल करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार कृषि उपज बाजार निरसन अधिनियम, 2006 लागू होने के फलस्वरूप राज्य के किसानों को अपने कृषि उत्पाद

को बाजार प्रांगण के अतिरिक्त किसी भी जगह एवं किसी को भी उचित मूल्य पर विक्रय करने की स्वतंत्रता मिली है । इसके फलस्वरूप कृषि विपणन के क्षेत्र में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं । जैसा कि राज्य के किसानों को विपणन के वैकल्पिक चैनलों तक पहुँचाने में सहुलियत हुई है । इस निरसन अधिनियम के लागू होने से राज्य में कृषि विपणन व्यवस्था नि:शुल्क हो गया है । कृषि उत्पाद से जुड़े व्यवसायों को अनुज्ञप्ति एवं बाजार शुल्क से मुक्ति मिल गई है ।

महोदय, दूसरा-अनुज्ञप्ति मुक्ति । लाइसेंस फ्री कृषि विपणन व्यवस्था का लाभ उठाते हुए कई निजी क्षेत्रों की कंपनियों ने किसानों, ग्रामीण स्तर के कृषि उद्यमियों के साथ-साथ कृषक उत्पादक संगठन से सीधे कड़ी शुरू की है । राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर ग्रामीण स्तर पर भी गोदाम निर्माण एवं संचालन का कार्य निजी क्षेत्र में किया जा रहा है ।

महोदय, तीसरा कृषि के क्षेत्र में राज्य के सभी कृषि उत्पादों से संबंधित कृषि निर्यात वर्ष 2005-06 में मात्र 03 करोड़ रहा, यह वर्ष 2023 में बढ़कर 03 हजार 88 करोड़ का निर्यात किया गया । महोदय, राज्य सरकार के द्वारा किसानों को अपने कृषि उत्पादों के कृषि रोड मैप के तहत विपणन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा किसानों को विपणन के लिए उचित व्यवस्था प्रदान करने हेतु राज्य के सभी 54 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के लिए कुल 2700 करोड़ रुपये की लागत से कार्य किया जा रहा है । महोदय, सर्वप्रथम 21 बाजार प्रागणों में मूलभूत संरचना सड़क, नाला, चहारदीवारी, हाईमास्क लाईट इत्यादि का कार्य कुल लागत 237.41 करोड़ रुपये से कराया गया । राज्य के सभी 54 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास का कार्य चरणबद्ध तरीके से मास्टर प्लान बनाकर किया जा रहा है । इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों यथा- गुलाबबाग, मुसल्लहपुर, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, बेतिया, दाउदनगर, मोहनिया के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 748.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति

एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों यथा-सासाराम, बेगूसराय, कटिहार, फारबिसगंज, जहानाबाद, दरभंगा, किशनगंज, छपरा एवं बिहटा के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास हेतु कुल परियोजनाओं का लागत 540.61 करोड़ रुपये पर योजना राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत कर कार्यान्वित की जा रही है । इन सभी कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों में कार्य प्रगति पर है और किसानों को विपणन की बेहतर सुविधा प्रदान करने के क्रम में केन्द्र सरकार की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना को भी बिहार में लागू करने की कार्रवाई की गई है । प्रथम चरण में राज्य के 20 बाजार प्रांगणों में मुसल्लहपुर, गुलाबबाग, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, गया, बिहारशरीफ, मोतिहारी, समस्तीपुर, सासाराम, कटिहार, दाउदनगर, आरा, मोहनिया, बक्सर, फारबिसगंज, सीतामढ़, बेगूसराय एवं मधेपुरा को भी इससे जोड़ने की कार्रवाई की गई है ।

(क्रमशः)

टर्न-19/संगीता/01.03.2024

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) : महोदय, इस तरह सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु कई स्तर पर कार्य लगातार किए जा रहे हैं सम्प्रति मंडी कानून को पुनः बहाल करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है महोदय । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के विस्तृत एवं स्पष्ट उत्तर के बाद क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुधाकर सिंह : सर, एक मिनट केवल सर । ये जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहे हैं वैसे ही जैसे कोई मर्सडीज खरीद लिया और ड्राइवर नहीं है । कानून ड्राइवर होता है, बिना कानून के चलेगा कैसे मंडी, यह सवाल है, इसपर जवाब आना चाहिए था, ये कृषि रोड मैप पढ़ रहे हैं स र...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुधाकर सिंह : मैं प्रस्ताव के समर्थन में हूं, मैं वापस ले लूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जैसे कृषि आधारित आर्थिक रूप से कमजोर राज्य एवं किसानों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शी तरीके से अधिग्रहण हेतु बिहार राज्य में 'एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (मंडी कानून)' को पुनः बहाल करावें।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-70 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-71 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय से 25-30 कि0मी0 दूर की पंचायतों-शिकारपुर, दासग्राम, बांसगांव, लगुआ, बेलवा, आबादपुर, शिवानन्दपुर, धर्मपुर, नलसर, हरनारोई, चापाखोर, को लेकर एक नया आबादपुर के नाम से प्रखंड का गठन करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया द्वारा जिला पदाधिकारी कटिहार से बारसोई प्रखंड के आवा आबादपुर को नए प्रखंड का दर्जा दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव को अपने अनुशंसा, सहमति सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया है । प्राप्त प्रस्ताव को सर्वप्रथम विभाग स्तर पर समीक्षा कर इसे सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है । तदुपरांत मंत्रियों के समूह के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के बाद क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री महबूब आलम : धन्यवाद महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–72 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिलाने का केन्द्र सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, इस संबंध में मुझे कहना है...

अध्यक्ष : आपने कहा न, जवाब देने दीजिए सरकार को । माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय पहले भी आ चुका है...

अध्यक्ष : यह विषय तो आ गया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : और इस विषय पर पहले भी आपका दिशानिर्देश हुआ है ।

अध्यक्ष : मेरा आग्रह होगा कृपया अपना संकल्प वापस लें । यह विषय आ गया है और पूरी चर्चा हुई है इस सदन के अंदर । सेम प्रश्न है ।

श्री अजय कुमार सिंह : मैं इस पर एक लाईन कहकर...

अध्यक्ष : सेम प्रश्न है, हो गया है ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, अगर आपका संरक्षण हो तो, भारत के विधान सभा में विधान परिषद जो 1946 में हुई थी, उसमें प्रजातंत्र का प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया था...

अध्यक्ष : कुंदन जी विस्तार से इस पर बोले हैं और जितना आप कह रहे हैं उससे ज्यादा बोले हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि महापुरूष के सम्मान में कृपया अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजय कुमार सिंह : ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–73 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह फारबिसगंज विधान सभा के रमैय पंचायत के घोड़ाघाट–चिकनी पथ में परमान नदी के डहरा घाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रमैय पंचायत में नदी के डहरा डाट पर पुल निर्माण पुल स्थल एफ0डी0आर0 योजनान्तर्गत घोड़ाघाट से चिकनी पथ जिनकी लंबाई 6.05 किलोमीटर है, के चैनल 2.6 किलोमीटर पर परमान नदी में डहरा घाट पर अवस्थित है । उक्त चैनल पर 120 मीटर उच्चस्तरीय पुल की आवश्यकता है । पुल का स्थल के अपस्ट्रीम में 5.0 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में 10.0 किलोमीटर पुल से निर्मित है । इस पुल के बन जाने से चिकनी, पकड़निया, पगडेढ़ा, घोड़ाघाट ग्रामवासियों को प्रखंड मुख्यालय एवं बाजार जाने में सुविधा होगी। नाबार्ड राज्य योजनान्तर्गत चेकलिस्ट तैयार कर विभाग में समर्पित है एवं विभाग द्वारा चयनित स्क्रिनिंग कमिटी को समर्पित किया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या मंत्री जी के स्पष्ट जवाब के परिप्रेक्ष्य में अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, हम यही कहना चाहेंगे कि यह दो विधान सभा से जुड़ा हुआ है और लाखों लोगों का परिचालन यह पुल बन जाने से हो जाएगा ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बड़ी साफ-साफ बात कही है, अच्छी बात कही है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : इसलिए चाहते हैं कि 8 साल का जो संकल्प है इसको पूरा करवा दें मंत्री जी ।

अध्यक्ष : संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-74 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0</u>

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल 13 करोड़ की आबादी में SC समुदाय की आबादी 2 करोड़ 56 लाख एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2 करोड़ 31 लाख के लिए सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में वाजिब हिस्सेदारी देने की व्यवस्था करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो संवैधानिक तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें धर्म के आधार पर तो आरक्षण की व्यवस्था है नहीं और आपने इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए मांगा है और जो पिछली बार जाति आधारित जनगणना का जिक्र किया है आपने तो उसके आधार पर तो हमलोग सभी वर्गों की आरक्षण सीमा बढ़ा दिए हैं और जो पिछड़ो का, अति पिछड़ों का आरक्षण की सीमा बढ़ाए हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है । इसलिए आप जो कह रहे हैं हमलोग तो पहले से मान रहे हैं इसको आप जल्दी से वापस ले लीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही तफ्सील से जवाब दिया है लेकिन मैं बिहार सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराया और यह जानने के लिए...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, सर, समुंदर से प्यासे को...

अध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, दो शब्द कह लेने दीजिए सर, आपका हुक्म सर आंखों पर सर । मैं कह रहा हूं कि सबका...

(व्यवधान)

नहीं, सर जरा क्षमा चाहूंगा...

अध्यक्ष : आप इधर देखिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि रिजर्वेशन हासिल है एस0सी0 को, उनकी आबादी के अनुपात में 4 लाख 1 हजार नौकरी होनी चाहिए, उनको 2 लाख 91 हजार नौकरी मिली और 1 लाख 10 हजार नौकरी एस0सी0/एस0टी0 की गई, और मुसलमानों की आबादी के अनुपात में उनकी नौकरी होनी चाहिए 3 लाख 68 हजार...

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ? वोटिंग कराएं ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं कमजोर समुदाय की वकालत कर रहा हूं सर...

अध्यक्ष : जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां कहें...

श्री अखतरूल ईमान : उनकी एक लाख 95 हजार नौकरी चली गई...

अध्यक्ष : जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां कहें...

श्री अखतरूल ईमान : नहीं सर, यह प्रस्ताव क्या जाति आधारित जनगणना कराया गया है...

अध्यक्ष : क्या आप वापस लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की कुल 13 करोड़ की आबादी में SC समुदाय की आबादी 2 करोड़ 56 लाख एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी 2 करोड़ 31 लाख के लिए सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में वाजिब हिस्सेदारी देने की व्यवस्था करावे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक–75 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला के नेहालपुर पंचायत में ग्राम–हड़पुर एवं रीता बीधा के बगल से गुजरने वाली डाढू नाला (नदी के रूप) पर पुल नहीं रहने के कारण दर्जनों गांव के किसान, मजदूर, छात्र/छात्राओं को आवागमन हेतु–पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत निर्मित जहानाबाद, अरवल मुख्य पथ के किंडुई मोड़ से इंदरबीघा, भाया रीता बीधा पथ के आरेखन पर अवस्थित है, जिसके निर्माण हेतु चेकलिस्ट प्राप्त है। समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : धन्यवाद, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक–76 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के गुणवंती पंचायत के वार्ड नं0–11 में डहरा महादलित टोला एवं दुर्गापुर महादलित टोला के लोगों को सालोंभर आवागमन सुलभ कराने के लिए रजवैली माईन के 8 आर0 डी0 बिरमान बनकट्ठा के पास नहर के कटे बांध का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जो अररिया के रानीगंज में जहां जिस स्थल की चर्चा कर रहे हैं उसको मनरेगा से हमलोगों ने बनाने का निदेश जिला प्रशासन को दिया है । चूंकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : जी बहुत–बहुत धन्यवाद मंत्री जी ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

टर्न–20/सुरज/01.03.2024

क्रमांक–77 : श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी प्रखंड के 37 पंचायत में से मनियारी को दूसरा प्रखंड बनावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से कुढ़नी प्रखंड के मनियारी को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव को अपने अनुशंसा सहमति सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया है । प्राप्त प्रस्ताव को सर्वप्रथम विभाग स्तर पर समीक्षा कर इसे सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है । तदोपरांत मंत्रियों के समूह के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार के विस्तृत जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कुढ़नी प्रखंड बिहार का सबसे बड़ा 37 पंचायत का प्रखंड है...

अध्यक्ष : सरकार ने आपके प्रश्न को गलत नहीं कहा है लेकिन वह निर्णय की प्रक्रिया में अभी लंबा है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, आपके आदेशानुसार संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–78 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–79 : श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के धानुक जाति जो अत्यंत कमजोर एवं शोषित है, को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, एक तो अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने का निर्णय भारत सरकार लेती है, यह राज्य सरकार से संबंधित नहीं है और अभी जिस जाति की चर्चा यह कर रहे हैं, उस जाति के लिये आरक्षण की सीमा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी है तो उसमें वे भी शामिल हैं । इसलिये हम माननीय सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार के जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, हम केवल एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर संभव नहीं है तो केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय और आपके आदेशानुसार मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत-राज खासपुर के मुख्यमंत्री सम्पर्क सड़क योजना के रामचन्द्र पथ के सामने दनैया नाला पर पुल निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इस पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : जरूर विचार किया जायेगा । आपसे आग्रह है कि संकल्प वापस ले लें ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-81 : श्री जितेंद्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेंद्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखंड के सारे पंचायत स्थित जंगीपुर गांव में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 के अंतर्गत खाद्य भवन (गोदाम) का निर्माण की गुणवत्ता की जांच करावे ।''

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, महाप्रबंधक तकनीकी निगम मुख्यालय, पटना के पत्रांक सं0-1505 दिनांक-27.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड के सारे पंचायत स्थित जंगीपुर गांव में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, पटना के अंतर्गत खाद्य भवन (गोदाम) का निर्माण की गुणवत्ता की जांच राजकीय पॉलिटेक्निक, सहरसा से करा ली गयी है । गोदाम निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का जांचफल मानक के अनुरूप है, अच्छा है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, प्राक्कलन के मुताबिक बिल्कुल नहीं हो रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है । हमारे पास उसका विडियो भी है । हमारे क्षेत्र के मामला है, हमने देखा है कई बार उसका जो सीमेंट है, जो ईंटा है...

अध्यक्ष : क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जितेंद्र कुमार : महोदय, वापस तो लेना ही है लेकिन जांच हो जाता तो सही होता...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–82 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0

श्री सुरेन्द्र मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के मानोपुर रूदौली बलान नदी घाट में पुल का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित मानोपुर बसावट की संपर्कता पथ, पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पथ से प्राप्त है । दूसरी तरफ अवस्थित रूदौली बसावट की संपर्कता पी0एम0जी0एस0वाई पथ रूदौली जहांपुर से भरूलपथ से प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल पर अपस्ट्रीम में लगभग 2.50 किलोमीटर पर निर्मित एवं डाउनस्ट्रीम में 2 किलोमीटर पर स्थित पुल पी0एम0जी0एस0वाई–3 के अंतर्गत निविदा निष्पादन प्रक्रिया में है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावट को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है । सम्प्रति, इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के विस्तृत जवाब के बाद क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, पूरी आबादी को पांच किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसलिये आग्रह करना चाहेंगे कि इस पुल को बनाया जाय ।

अध्यक्ष : क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र मेहता : जी महोदय वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–83 : श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-84 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत मंदिर की देख-भाल हेतु पूर्व में गठित 9 सदस्यीय प्रबंधन समिति में जिलाधिकारी के अलावा 04 बौद्ध एवं 04 हिन्दु सदस्य को संशोधन करते हुये 09 सदस्यीय प्रबंधन समिति में जिलाधिकारी के अलावा सभी 08 बौद्ध सदस्यों को मनोनीत करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 की धारा 3 में निहित प्रावधान के तहत बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति में देखभाल हेतु 09 सदस्यीय प्रबंधन समिति में जिलाधिकारी, गया अध्यक्ष के अलावा 04 बौद्ध एवं 04 हिन्दु सदस्य मनोनीत होते हैं । प्रबंध समिति में सभी 08 सदस्य बौद्ध समुदाय से मनोनित करने के संबंध में कोई मामला विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिहार के गौरव, बिहार के रेवेन्यू और बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है । हम भी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपको पता है कि बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के पास भगवान शंकर का भी मंदिर है, क्या आपको जानकारी है ? उस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध जहां विराजमान हैं, ठीक उसके नीचे भगवान शंकर भी विराजमान हैं और यह जो प्रोविजन बताया माननीय मंत्री महोदय ने यह इस सरकार ने नहीं किया है, यह 1949 का है और आजादी के पहले भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, महात्मा गांधी जी ने यह बात कही थी और श्री बाबू जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के इस विधान सभा के अंदर यह प्रस्ताव आया था, उसकी चर्चा किये हैं । मेरा आपसे आग्रह होगा इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में और उस स्थान के महत्व को देखते हुये कृपया अपना संकल्प वापस लें । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : महोदय, मेरी दो बात सुनना चाहेंगे...

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री ललन कुमार : हम तो वापस लेंगे लेकिन...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–85 : श्री निरंजन कुमार मेहता, स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला व बिहारीगंज विधान सभा अंतर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क पथ अमौना गाढियारी (बॉर्डर) से नवाटोला गुदरीया स्थान तक निर्मित मुख्यमंत्री ग्राम्य सम्पर्क पथ तक सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसका सर्वे करा लिया गया है, निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अभी फिलहाल माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सर्वे हो गया है । क्या मननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुये अपना संकल्प वापस लेता हूं और माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–86 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–87 : श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान गोरखनाथ मंदिर के आध्यात्मिक महत्व के आलोक में इसे पर्यटनीय दृष्टि से तीर्थ यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने एवं सौंदर्यीकरण करते हुये राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल सूची में इसे सूचीबद्व करे ।''

टर्न–21/राहुल/01.03.2024

अध्यक्ष : यह तो हो गया है । माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग इससे संबंधित ही तो आपने जवाब दिया है । पहले हो गया है । विस्तृत जवाब आया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, जवाब दे चुका और मैं यह कहा हूं...

अध्यक्ष : आप ही के जिले के माननीय ने यह सवाल उठाया है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी इसमें एक बार जवाब दे दें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, मैं अधिकारियों को भेजकर उसको दिखवा लेता हूं कि क्या उधर करने का है और अगले वित्तीय वर्ष में करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, वापस तो लेना ही है सिर्फ एक संदर्भ में कहना चाहता हूं...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ । श्री रणविजय साहू ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, एक बार...

अध्यक्ष : हो गया पहले ही विस्तार से जवाब आया है । हो गया । जब सकारात्मक जवाब मिला है तो अब क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, इसे बिहार के पर्यटन स्थल की जो सूची है उसमें सूचीबद्ध करते हुए आधारभूत संरचना का निर्माण करावें । इतना ही आग्रह है और इस संकल्प को मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : वापस तो सदन की सहमति से पहले ही हो गया ।

<u>क्रमांक-88 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0</u>

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत इन्द्रवाड़ा बाजितपुर-करनैल, मरिचा, रहियारी के सोनारायणपुर तथा बाँन्दे को समस्तीपुर अनुमंडल से कम दूरी वाले शाहपुर पटोरी अनुमंडल में समाहित करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, पूरे राज्य में जिला, अनुमंडल और प्रखंडों के पुनर्गठन अथवा इनकी सीमाओं में फेरबदल का मामला जो उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के उसके समक्ष विचाराधीन है और उसके पहले सचिवों की एक समिति है वह विचार करती है । माननीय सदस्य इसके बारे में अलग से विस्तृत लिखकर दे दें ।

उस समिति के तहत विचार के लिए यह भेज दिया जायेगा और उस पर जब सरकार निर्णय लेगी तो इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा । अभी माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के विस्तृत जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रणविजय साहू : महोदय, बाँन्दे, सोनारायणपुर, रहियाही, मरिचा की दूरी 4-5 किलोमीटर है और समस्तीपुर की दूरी 35 किलोमीटर है...

अध्यक्ष : सरकार ने पूरी बात कही है । क्या उस संदर्भ में आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, संकल्प वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-89 : श्री मोहम्मद अनजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलांतर्गत बहादुरगंज प्रखंडाधीन निशन्द्रा पंचायत अन्तर्गत मालीटोंल टंगटंगी पुल का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसका सर्वे करवा लिया गया है समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : सर्वे करवाया गया है, सकारात्मक जवाब है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, बरसात के समय में काफी कष्ट होता है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं लेकिन इसको अविलंब कराया जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-90 : श्री बीरेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री बीरेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के रोसड़ा विधान सभा अंतर्गत सिंघिया प्रखंड के वारी पंचायत के भरिहार टोला स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक पंडावडीह का उत्खनन एवं सौंदर्यीकरण कार्य कराकर मिथिलांचल के गर्भ में छिपे प्राचीन अवशेषों के बारे में पता लगावे।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अंचलाधिकारी, सिंघिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक-627, दिनांक-29.02.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि पंडावडीह की भूमि पर पुरातात्विक महत्व के अवशेष गर्भस्थ होने की संभावना है । साथ ही, यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्थल पर राधा-कृष्ण का मंदिर निर्मित है तथा शेष भाग खाली है । उक्त स्थल को पुरातात्विक महत्व के अवशेष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थल की जांच कराये जाने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना से विभागीय पत्रांक-64, दिनांक-29.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : जवाब सकारात्मक है । क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, खाली पड़ी हुई जमीन को संरक्षित किया जाय । कारण यह है कि अतिक्रमण करने के लिए लोग आपस में टकराते रहते हैं ।

अध्यक्ष : सरकार तो सकारात्मक जवाब दे रही है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री बीरेन्द्र कुमार : जी, वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-91 : श्री देवेश कान्त सिंह, स0वि0स0

श्री देवेश कान्त सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सिवान जिला के महाराजगंज प्रमंडल अंतर्गत बसंतपुर प्रखंड के एस0एच0-73 कन्हौली से बसाव तक जानेवाली सड़क को उन्नयन योजना से निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मेंटेनेंस का जो पांच साल का वक्त होता है अभी वह समाप्त नहीं हुआ है । फिर भी माननीय सदस्य का आग्रह है तो इसको दिखवा लेंगे । उनसे अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब सकारात्मक है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री देवेश कान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय । चूंकि उनको गलत जानकारी दी गयी है । इसकी अनुरक्षण नीति समाप्त हो गयी है । प्रधानमंत्री में प्रमोट किया गया, उन्नयन में किया गया इसी कंफ्यूजन में तीन साल से नहीं बन रहा है इसलिए...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

श्री देवेश कान्त सिंह : मैं आग्रह करूंगा कि इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं लेकिन इसपर सकारात्मक कार्रवाई की जाय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय मंत्री जी दिखवा लेंगे ।

क्रमांक-92 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-93 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-94 : श्रीमती कविता देवी, स0वि0स0

श्रीमती कविता देवी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलांतर्गत कोढ़ा प्रखंड के आई0टी0बी0पी0 केन्द्र चैथरियॉपीर से डिघरी जाने वाली पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क में बहरखाल के निकट नहर पर सड़क के अनुरूप पुल का निर्माण करावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसको दिखवा लेंगे । माननीय सदस्या से अनुरोध है कि इसे वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ? माननीय मंत्री जी का सकारात्मक जवाब है ।

श्रीमती कविता देवी : जी, जल्द हो जाय तो बहुत अच्छा होगा । वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-95 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मानसी-सिमरी बख्तियारपुर-सहरसा-हरदी चौधरा एस0एच0-95 जो सिमरी बख्तियारपुर के विकास के लिए निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलांतर्गत प्रश्नगत पथांश मानसी-फैंगो हॉल्ट सिमरी-बख्तियारपुर पथांश मानसी, सहरसा, हरदी, चौधरा पथ एस0एच0-95 का अंश है जिसकी कुल लंबाई 28.08 किलोमीटर है । टू लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब सकारात्मक है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : जी, वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-96 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला एवं गोपालगंज जिलान्तर्गत रेवा घाट पुल से बंगरा घाट पुल तक सारण तटबंध पर निर्मित क्षतिग्रस्त पथ का चौड़ीकरण एवं कालीकरण करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो रेवा घाट से बंगरा घाट तक की सड़क बांध की चर्चा की है । हमने अधिकारियों को निदेश दिया है कि एक महीने के अंदर डी0पी0आर0 बनाकर मांगा है उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अभी अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार सकारात्मक है । क्या अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जनक सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को साधुवाद देता हूं और अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-97 : श्री फते बहादुर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-98 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के सोनपुर पखंडान्तर्गत भरपुरा पंचायत के वर्मा चौक से चैसिया-खरीका होते हुए पहलेजा घाट तक रेलवे के निष्क्रिय बांध पर जनहित में सड़क का निर्माण करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलांतर्गत प्रश्नगत बांध वर्मा चौक से चैसिया-खरीका होते हुए पहलेजा घाट रेल लाईन वर्तमान में रेलवे के क्षेत्राधीन बांध के रूप में रेलवे की परिसंपत्ति है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार के जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द सरकार को सुझाव देते हुए वापस करूंगा । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर पहले से सरकार का आश्वासन भी है । यह रेलवे की जमीन है लेकिन निष्क्रिय जमीन है । रेलवे देने के लिए तैयार है । यह हमारी कई पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क होगी और लोगों के जन-जीवन और जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा साधन है । पहलेजा घाट धाम है वह हरिहर नाथ मंदिर से और हाजीपुर को जोड़ने वाली सड़क है । माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको दिखवा लिया जाय । मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सकारात्मक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-22/मुकुल/01.03.2024

क्रमांक-99 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-काराकाट, पंचायत-सिकरिया, ग्राम-नवजादित टोला के सामने आरा मुख्य नहर में फुट ब्रीज (पार पथ) का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जहां पर नवजादित टोला के सामने पुल बनाने के लिए कह रहे हैं, वहां का जलस्राव 3500 क्यूसेक ही है और उतना जलस्राव रहने पर नियम है कि कम से कम 2.5 कि0मी0 की दूरी होने पर ही हमलोग पुल बनाते हैं और नवजादित टोला से 1.6 कि0मी0 अपस्ट्रीम में भी और 1.6 कि0मी0 डाउन स्ट्रीम में भी पुल बना हुआ है । इसलिए अभी यहां पर बनाना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आप अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए आग्रह कर दीजिए ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि....

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे सब जानकारी है, लेकिन इसको फिर से हम दिखवा लेंगे । इसलिए माननीय सदस्य अभी इसको वापस ले लें ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, नवजादित टोला सिकरिया पंचायत में पड़ता है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट । मंत्री जी आपको कुछ कह रहे हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, किस पंचायत में पड़ता है, हमने उसकी बात नहीं की है । माननीय सदस्य जिस स्थल की बात कह रहे हैं, हमने कहा कि जितना कैपेसिटी का वह नहर है, 3500 क्यूसेक उसका जलस्राव होता है उस पर कम से कम दो पुलों के बीच की दूरी 2.5 कि0मी0 न्यूनतम होनी चाहिए और जिस स्थल की ये बात कर रहे हैं । महोदय, 1.6 कि0मी0 ऊपर में भी और उस स्थल से 1.6 कि0मी0 नीचे में भी दो पुल बना हुआ है । इसलिए अभी तत्काल वहां पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए महोदय हम माननीय सदस्य से आग्रह कर रहे हैं कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को जो रिपोर्ट मिली है, दो लाख के बीच में है, एक लाख तो कितनी दूरी पर होता है यह तो माननीय मंत्री जी जानते होंगे । 3

कि0मी0 पूरी तरह से बीच में है, यह नवजादित टोला जो है वह सिकरिया पंचायत में पड़ता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 3 कि0मी0 की दूरी है ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को पहले सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में पुल बनेगा तो कितना कि0मी0 दूर होगा, 1.5 कि0मी0 ही न होगा, वही तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ।

माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसकी जांच करवा लेंगे, ये हमको लिखकर दे देंगे तो हम इसकी जांच करवा लेंगे ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कह रहे हैं कि सिकरिया पंचायत में नवजादित टोला पड़ता है और नवजादित टोला का बूथ भी सिकरिया में पड़ता है और इस बूथ स्कूल, हॉस्पिटल और इन लोगों को 10 कि0मी0 दूर सिकरिया में जाना पड़ता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे इसको दिखवा लेंगे तो क्या माननीय सदस्य आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो पारपत्र मांगे हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-100 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर विधान सभा के खरीक प्रखंड में सिंहकुण्ड, लोकमानपुर, कालूचक, विश्रपुरिया, मैरचा, गोविन्दपुर मुसहरी, कहारपुर गांव का कोशी नदी से हो रहे भीषण कटाव निरोधी कार्य करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने अधिकारियों द्वारा इन स्थलों की जांच करवाई थी, अभी वैसे आया है कि वहां पर कटाव नहीं हो रहा है । लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम फिर से वहां पर अधिकारियों को भेजेंगे और अगर कहीं कटाव

परिलक्षित होगा तो कटाव निरोधक काम हम करवा देंगे । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । माननीय मंत्री महोदय जी वर्ष 2020 में वहां पर गये थे, ग्वारीडिह जो चैनल था वह आपने खुदवाया था ताकि इसमें पानी कम हो सके वह चैनल फिर से चालू हो जाय तब यह कटाव रुक जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने इसको दिखवाने के लिए तो कहा ही है, ये इसकी फिर से जांच करवा लेंगे । क्या माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक–101 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0</u>

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए सीवान जिला अंतर्गत दरौली सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र संख्या–107 के दरौली और गुठनी प्रखंड में डिग्री कॉलेज निर्माण की नीति बनावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सत्यदेव बाबू ने शिक्षा के प्रति जागरूकता की बात की है तो शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए ही मुख्यमंत्री जी ने अभी सभी अनुमंडलों में कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है और अभी कुछ अनुमंडल इस सूची से बचे हुए भी हैं । अभी पहले अनुमंडल हो जाय तब हमलोग जब प्रखंड स्तर पर आयेंगे तब माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर विचार करेंगे । अभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, यह सकारात्मक जवाब मैं वर्ष 2016 से सुन रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुन लिया जाय । अभी सरकार ने ही पंचायत स्तर पर उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज बनाई है और उसमें बड़े पैमाने पर गरीब-गुरबों के बच्चे पढ़ते हैं और इंटर पास करते हैं । लेकिन इसके अभाव में वह वह दूर तक उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने तो कह ही दिया कि पहले अनुमंडल स्तर पर करेंगे उसके बाद प्रखंड स्तर पर करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुन लिया जाय । इसलिए मैं आग्रह करता हूं, चूंकि मैं यह बात वर्ष 2016 से सुन रहा हूं और पता नहीं साल में कितने अनुमंडल कॉलेज बनते हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं है । मैं आग्रह करता हूं कि मेरा यह क्षेत्र जिला मुख्यालय से 40 कि0मी0 दूर यू0पी0, बिहार के बॉर्डर पर अवस्थित है । इसलिए मेरा विशेष आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि कम से कम दरौली में एक डिग्री कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सत्यदेव बाबू कह रहे हैं कि हम बराबर यही जवाब सुनते हैं, सरकार कब से एक ही बात कह रही है । अब तो ये समझ ही गये होंगे कि सरकार जो कहती है, अपने बात पर कायम रहती है, हमेशा बदलती नहीं है । जो बात हम नीतिगत बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि आज हम बोलें कुछ तो कल बोल दें कुछ । हमने जो आज नियम बताया है वही कल भी नियम रहता है और हमने आपको कहा है कि अभी हमलोग सभी अनुमंडलों मुख्यालय, एक अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित कर रहे हैं उसमें भी मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्णय था कि राज्य में 101 अनुमंडल हैं जो 18-20 करीब बचे हुए हैं सबमें हमलोग एक-एक करके कर रहे हैं । पहले अनुमंडल में हो जाय उसके बाद हमलोग प्रखंड में पहुंचेंगे । पंचायत में तो हम एक-एक प्लस-2 विद्यालय बना दिये हैं तब प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय बनाने की बात दूसरे चरण में की जायेगी तब आपकी बात पर जरूर विचार करेंगे । अभी आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि उनको यू0पी0 जाने से बचाइये और एक विशेष फैसला लीजिए । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को यू0पी0 जाने से तो बचाइये । यह मेरा विशेष आग्रह है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए सीवान जिला अंतर्गत दरौली सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र संख्या-107 के दरौली और गुठनी प्रखंड में डिग्री कॉलेज निर्माण की नीति बनावे।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-102 : श्री महानंद सिंह, स0वि0स0

श्री महानंद सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन निर्माण कार्य रेलवे बोर्ड के पत्रांक-2007/डब्ल्यू-11/ई0सी0आर0/एन0एल0/बी0ए0/14/दिनांक-23.02.2022 के तहत स्थगित बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन निर्माण कार्य शुरू करवाने के लिए बिहार सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्तावित करे ।''

टर्न-23/यानपति/01.03.2024

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन निर्माण कार्य शुरू करवाने हेतु विभागीय पत्रांक-712, दिनांक-13.02.2024 द्वारा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है । यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-103 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में चल रही आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त कर नियमित नियुक्ति की व्यवस्था पुनः प्रारंभ करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : यह तो महोदय बिल्कुल कि राज्य में चल रही आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त कर, तो महोदय आउटसोर्सिंग की व्यवस्था तो की गई है, एक

विशेष उद्देश्य से कि राज्य में जो लगातार खर्चे बढ़ रहे थे, आउटसोर्सिंग तो किया गया है कि जरूरत के हिसाब से ही हम लोगों को रखेंगे इसलिए अभी इसको बंद करने का विचार नहीं है इसलिए हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि अपना यह अभिस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट की है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री अली अशरफ सिद्दिकी : हम वापस ले लेंगे लेकिन एक बात सुन लिया जाय.....

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–104 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट एवं पंचदेवरी में भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण करा कर जमीन वितरित करावे ।''

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, समाहर्ता गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि कुचायकोट एवं पंचदेवरी अंचल में अभियान बसेरा–2 के तहत राजस्व कर्मचारी के माध्यम से भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है । उक्त सर्वेक्षण के दौरान कुचायकोट अंचल में 55 एवं पंचदेवरी अंचल में 63 परिवारों को चिन्हित किया गया है जिन्हें भूमि आवंटित करने में एवं पर्चा तैयार किया जा रहा है साथ ही अभियान बसेरा–1 के तहत सर्वेक्षित परिवारों के साथ पर्चा वितरण की स्थिति निम्नवत है, अंचल का नाम है पंचदेवरी, कुल सर्वेक्षित परिवार 103, वितरित पर्चा 58, वितरण हेतु शेष 45, दूसरा है कुचायकोट 151 सर्वेक्षित परिवार, वितरित पर्चा 126, वितरित हेतु शेष 25 शेष अतिरिक्त परिवारों को अभियान बसेरा–2 के साथ पर्चा तैयार कर वितरण की कार्रवाई की जा रही है । अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-105 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

श्री मिथिलेश कुमार । श्री राम सिंह अधिकृत हैं, नहीं हैं ।

क्रमांक-106 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राजेश कुमार : मैं अपना प्रस्ताव पढ़ दूं ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी हम बैठे हैं । कई लोग देर से आए हैं, मैं सबका नाम, जिनका नहीं हुआ है मैं फिर से एक बार नाम बोल देता हूं । जो आएंगे उनका जवाब हो जायेगा । श्री सुर्यकान्त पासवान ।

क्रमांक-01 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण करावें ।''

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बखरी अनुमंडल अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा यथाशीघ्र कराया जायेगा । मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक जवाब के परिप्रेक्ष्य में क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, एक मिनट सुन लिया जाय । महोदय, वह जागी ठाकुरबाड़ी की जमीन को वहां के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं । महोदय, उनकी जो शर्त है, शर्त के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी है । जो झंझट था वह समाप्त हो गया है । माननीय मंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे.....

अध्यक्ष : आपने जो आग्रह किया सरकार उसके लिये तैयार है । क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, लेना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-02 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के पताही झंडा चौक से सुगापीपर जानेवाली मेन रोड में मिर्जापुर पेट्रोल पंप के पास शेढ़ा नाला पर बनी वर्षों पुराना लोहिया पुल के स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अच्छा, इसको देखा जायेगा । माननीय सदस्य से अभी अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार की सोच सकारात्मक है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : ले लेंगे वापस लेकिन वह जो इलाका है वह बाढ़ प्रभावित इलाका है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-03 : श्री मोहम्मद कामरान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-05 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-10 : ई0 शशिभूषण सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-11 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-12 : श्री सतीश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-13 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक–17 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला सहित सीमांचल क्षेत्र के सुरजापुरी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग–2 की श्रेणी से सुरजापुरी मुसलमानों को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में रखने की व्यवस्था करावे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की कोई योजना नहीं है लेकिन सुरजापुरी मुसलमानों की जो स्थिति है उसका सर्वेक्षण करा कर इसपर आगे विचार किया जायेगा । अभी तत्काल वापस लिया जाय ।

अध्यक्ष : सरकार का जवाब सकारात्मक है, क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जातीय गणना के आंकड़े के मुताबिक सुरजापुरी मुसलमान... ..

अध्यक्ष : क्या आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री इजहारूल हुसैन : जी मैं लूंगा सर ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–19 : श्री श्रीकान्त यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–20 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–27 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0

अध्यक्ष : उन्होंने पढ़ दिया है, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग जवाब दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने अतिथि गृह निर्माण की चर्चा की है इसमें । महोदय, हमलोग इसकी संभाव्यता दिखवा लेते हैं, फिर इसपर विचार करेंगे, अभी माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना अभिस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सरकार सकारात्मक है, क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, केवल एक सूचना सरकार को देना चाहते हैं, इसमें हो रहा है कि गृह विभाग, पुलिस ऑर्गनाइजेशन कह रही है कि यह भूमि गृह विभाग को ट्रांसफर होगा तब करेंगे, भवन निर्माण नहीं करेगी । या तो सरकार एसोसिएशन को दे दे एन0ओ0सी0 कि एसोसिएशन बना ले या गृह विभाग को ट्रांसफर कर दे तो गृह विभाग बना ले, यही मैं संज्ञान में देना चाहता हूं । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक–28 : श्री शम्भू नाथ यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–33 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–34 : श्री सिद्धार्थ सौरव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–35 : श्री चन्द्रशेखर, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–39 : श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0

अध्यक्ष : आप बैठिए, आप पढ़े हुए हैं । माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : मैं उपलब्ध करवा दूंगा ।

अध्यक्ष : उपलब्ध करा देंगे । श्री भरत बिंद ।

क्रमांक–40 : श्री भरत बिंद, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–45 : श्री विजय कुमार मण्डल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–46 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–48 : श्री चन्द्रहास चौपाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-24/अंजली/01.03.2024

क्रमांक-57 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-58 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-70 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-78 : श्री राम विशुन सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-83 : श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्रीमती अरूणा देवी । अरूणा जी आपका संकल्प है । दिये हैं न ?

श्रीमती अरूणा देवी : नहीं ।

अध्यक्ष : नहीं । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहती हैं ? हाँ बोल दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जब मूव नहीं हुआ तो वापस क्या होगा ?

श्रीमती अरूणा देवी : महोदय, वापस ले लिये ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-86 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-92 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-93 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-97 : श्री फते बहादुर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-105 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-106 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक–4 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : महोदय, मेरा संकल्प पढ़ा हुआ है लेकिन सरकार का जवाब नहीं आया है ।

अध्यक्ष : क्रमांक–4 श्री राजेश कुमार जी का है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग । आप बीच में कहीं चले गये थे क्या ?

श्री राजेश कुमार : नहीं महोदय ।

अध्यक्ष : दुबारा जब मैं नाम पढ़ रहा था तो आप कहीं गायब हो गये थे ।

श्री राजेश कुमार : नहीं महोदय, आप कहे थे रुकिये ।

अध्यक्ष : नहीं–नहीं, जरूर ऐसा हुआ होगा, हम तो नाम पढ़े हैं ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 हजार से अधिक वैसे प्रखंडों में जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति शेष है, में एक–एक 720 आसन वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर टेन प्लस टू आवासीय विद्यालय की स्थापना एवं निर्माण की स्वीकृति दी गई है । उक्त के आलोक में औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड, कुटुंबा, मदनपुर, नवीनगर, ओबरा एवं रफीगंज में डॉ0 भीमराव अम्बेदकर टेन प्लस टू आवासीय विद्यालय निर्माण प्रस्तावित है । प्रखंड कुटुंबा एवं मदनपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर टेन प्लस टू आवासीय विद्यालय 720 आसन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है । राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड अंतर्गत ग्राम दुलारे, ग्राम–पथरा में डॉ0 भीमराम अम्बेदकर टेन प्लस टू आवासीय विद्यालय का निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करते हैं ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जमीन का प्रस्ताव आया है...

अध्यक्ष : सरकार का विस्तृत रिपोर्ट है, सरकार ने विस्तृत प्रतिवेदन दिया है ।

श्री राजेश कुमार : लेकिन मैं संकल्प वापस ले रहा हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

अब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हुआ ।

समापण भाषण

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र दिनांक-12 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 01 मार्च, 2024 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल ग्यारह बैठकें हुई । सत्र के प्रथम दिन दिनांक 12 फरवरी, 2024 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों को विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में संबोधित किया गया एवं अन्य बैठकें सभावेश्म में हुई । सप्तदश बिहार विधान सभा के दशम सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 06 (छः) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति भी सदन पटल पर रखी गयी । कुल-10 (दस) जननायकों के निधन के प्रति शोक व्यक्त किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी । उसी दिन सदन में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी जी को पद से हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विमर्शोपरान्त यह संकल्प मत विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर स्वीकृत हुआ और तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा अध्यक्ष पद से मुक्त हुए ।

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को ही सदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । विमर्शोपरान्त यह प्रस्ताव भी मत विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर स्वीकृत हुआ और सभा द्वारा वर्त्तमान राज्य मंत्रिपरिषद् में विश्वास व्यक्त की गई ।

दिनांक 13 फरवरी, 2024 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक विवरण को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया । उसी दिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रारंभ हुए वाद-विवाद पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 15 फरवरी, 2024 को आसन द्वारा सदन नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार तथा विरोधी दल के नेता के रूप में माननीय सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम की घोषणा की गई । इसी दिन सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा के नये अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

दिनांक 19 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर हुए सामान्य विमर्श पर प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया ।

दिनांक 21 फरवरी, 2024 को आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक 21 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न से श्री महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने उपाध्यक्ष पद का त्याग कर दिया गया है । साथ ही बिहार विधान सभा में उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए दिनांक-23 फरवरी, 2024 की तिथि निर्धारण से सदन को अवगत कराया गया ।

दिनांक 22 फरवरी, 2024 को सभा सचिव द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP/MLA, Bhojpur, Ara द्वारा Session Trial No. 123/2019 (Azimabad P.S. Case No.51/2015) में पारित न्याय निर्णय के आलोक में सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ0जा0) के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश के परिणामस्वरूप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) के प्रावधानों के तहत श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० के दोषसिद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक-13.02.2024 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया ।

दिनांक-23 फरवरी, 2024 को सर्वसम्मति से माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव जी बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए । साथ ही प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया । उसी दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक से संबंधित चार अनुदानों की माँगे सदन में विमर्श के उपरान्त स्वीकृत हुए एवं आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँगे गिलोटिन (मुखबंध) के द्वारा स्वीकृत हुए । तदुपरान्त संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 27 फरवरी, 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई । तत्पश्चात संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ ।

दिनांक–28 फरवरी, 2024 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य होने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ । उसी दिन प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेण्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी । साथ ही सदन द्वारा बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में सदस्यों के मनोनयन के लिए अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को अधिकृत किया गया तथा इन समितियों में बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के नाम भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी सदन की सहमति हुई ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2024
(2) बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2024
(3) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(4) बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024
(5) बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024
(6) बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024
(7) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024
(8) बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(9) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
(10) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024
(11) बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024
(12) बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

(क्रमशः)

टर्न–25/आजाद/01.03.2024

....क्रमशः ...

अध्यक्ष : सत्र के दौरान कुल–2467 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 1931 प्रश्न स्वीकृत हुए । इन स्वीकृत 1931 प्रश्नों में कुल–41 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 38 के उत्तर प्राप्त हुए । कुल–1506 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 1282 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 384 प्रश्न अतारांकित हुए ।

इस सत्र में कुल–168 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 20 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए, 146 सूचनाएं लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये तथा 02 अमान्य हुए ।

इस सत्र में कुल–320 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 315 स्वीकृत हुए एवं 05 अस्वीकृत हुए । कुल–157 याचिकाएं प्राप्त हुई, जिनमें 146 स्वीकृत एवं 11 अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल–106 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई ।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

माननीय सदस्यगण, सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष–प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभारी हूँ ।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया है, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब बिहार राज्य गीत होगा । कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(बिहार गीत)

कृप्या बैठ जाएं ।

माननीय सदस्यगण, हर्ष, उल्लास, भाईचारा एवं आपसी सौहार्द्र का पर्व होली आसन्न है । इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के साथ सम्पूर्ण बिहारवासियों को सदन की ओर से मैं होली की शुभकामनाएँ देता हूँ । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह त्योहार समस्त बिहार के लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा । साथ ही महाशिवरात्रि एवं रामनवमी त्योहार के लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे प्रान्त में आपसी सौहार्द्र बना रहे, यह कामना करता हूँ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....